

सम्पादक
डॉ० हारून रशीद सिद्दीकी
सहायक
मु० गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं० ९३
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – २२६००७
फोन : ०५२२–२८४०४०६
फैक्स : ०५२२–२८४१२२१
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग दाणि

एक प्रति	₹ 15/-
वार्षिक	₹ 150/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक) 30 युएस. डॉलर	

चेक / ड्राफ्ट पर यह लिखें
“सच्चा राही”
पता
पोस्ट बॉक्स नं० ९३
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–२२६००७

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन
द्वारा काकोरी आफ्सेट प्रेस से
मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे
सहाफ़त व नशरियात नदवतुल
उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

अप्रैल, 2015

वर्ष 14

अंक 02

22 रजब के कून्डे

22 रजब का कून्डा, बिदअत बुरी है, सुन लो बिदअत बुरी है यह तो तौबा तुम इससे कर लो यह दिन वफ़ात का है, हज़रत मुआविया का हाँ कातिबे वही का, हज़रत मुआविया का कुछ दुश्मनों ने उनके, उस दिन खुशी मनाई बस इस तरह से इस दिन कून्डे की रस्म आई हज़रत इमाम जाफ़र, का फ़ातिहा बता कर शीरीनियाँ मंगा कर, टिक्याँ पका पका कर चुपके से घर में खाते, खुशायाँ हैं वह मनाते भाई हमारे सुन्नी, वह भी हैं धोखा खाते बिदअत है इसको छोड़ो, सुन्नत से नाता जोड़ो प्यारे नबी पे अपने, अब तुम दुर्लद पढ़ लो

(नोट: 22 रजब, हज़रत जाफ़र सादिक रही की न तारीखे पैदाइश है और न ही तारीखे वफ़ात)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझों कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्�आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
स्वदेश यात्रा	डॉ हारून रशीद सिद्दीकी	6
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	10
हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में	हज़रत मौ0 अली मियाँ नदवी रह0	17
तबलीगे नबवी सल्ल0 और उसके	अल्लामा सय्यद सुलैमान नदवी रह0	19
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ्ती ज़फ़र आलम नदवी	21
पर्यावरण की सुरक्षा	ग्रहीत	26
इस्लाम में महिलाओं के अधिकार	ई0 जावेद इक़बाल	30
अंतर्राष्ट्रीय सामाचार के प्रस्तुतकर्ता.....	इदारा	35
आंतियों को दूर करने का उचित.....	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	37
हमारी गाय	मोलवी इस्माईल मेरठी	38
उदू सीखिए	इदारा	40

क़ुअनि की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर-ए-बकर:

अबुवाद- जो लोग अपने माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, फिर खर्च करने के बाद न एहसान रखते हैं और न सताते हैं, उन्हीं के लिए है सवाब उनके अपने रब के यहाँ, और न उन पर डर है और न गमगीन होंगे⁽¹⁾⁽²⁶²⁾, नर्म जवाब देना और क्षमा करना बेहतर है उस खैरात से जिसके पीछे हो सताना, और अल्लाह बेनियाज़ निहायत तहम्मुल (सहनशीलता) वाला है⁽²⁾⁽²⁶³⁾, ऐ ईमान वालों न बर्बाद करो अपनी खैरात एहसान रख कर और तकलीफ दे कर उस आदमी की तरह जो खर्च करता है अपना माल लोगों को दिखाने के लिए, और यकीन नहीं रखता है अल्लाह पर और क़्यामत के दिन पर⁽³⁾ तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे साफ़ पत्थर कि उस पर

पड़ी है कुछ मिट्टी फिर उस पर ज़ोर की बारिश हुई फिर उसको बिल्कुल साफ़ करके छोड़ा, कुछ हाथ नहीं लगता ऐसे लोगों के, सवाब उस चीज़ का जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह काफिरों को सीधी राह नहीं दिखाता⁽⁴⁾⁽²⁶⁴⁾ और उन लोगों की मिसाल जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की खुशी हासिल करने को और अपने दिलों को साबित रखते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बाग़ बुलन्द ज़मीन पर और उस पर ज़ोर की बारिश हुई तो वह बाग़ अपना फल दो चंद लाया, और अगर न पड़ी उस पर बारिश तो फुवार ही काफी है और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब देखता है⁽⁵⁾⁽²⁶⁵⁾।

तफ़सीर (व्याख्या):-

1. जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च किये पर न ज़बान से

एहसान रखते हैं और न सताते हैं ताने से और न खिदमत लेने से और न तहकीर करने से, उन्हीं के लिए है पूरा सवाब, और न डर है उनको सवाब कम होने का और न ग़मगीन होंगे सवाब के नुकसान से।

2. यानी मांगने वाले को नर्मी से जवाब देना और उसके इसरार और बद मिजाजी पर क्षमा करना बेहतर है उस खैरात से कि बार बार उसको शर्मिदा करे या एहसान रखे या ताना दे, और अल्लाह गनी व बेनियाज़ है उसको किसी के माल की ज़रूरत नहीं, जो सदक़ा उसकी राह में करता है अपने वास्ते करता है, और हलीम है कि सताने पर अज़ाब भेजने ने जल्दी नहीं फरमाता।

3. यानी सदक़ा दे कर मोहताज को सताने और उस पर एहसान रखने से सदक़े शेष पृष्ठ29.... पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

जिहाद के घोड़े-

हज़रत इब्ने उमर रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया घोड़ों की पेशानियां क़्यामत तक के लिए भलाई से बंधी हैं।

(बुखारी—मुस्लिम)

हज़रत उर्वा बारकी रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि घोड़ों की पेशानियां क़्यामत तक के लिए भलाई से बंधी हैं (यानी अज्ज व गनीमत)। (बुखारी—मुस्लिम) जिहाद की नियत से घोड़ा पालना-

हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह के रास्ते के लिए अल्लाह पर ईमान रखते हुए उसके बादे की तस्दीक करते हुए घोड़े रखे तो उस घोड़े का खा पी कर आसूदा

और सैराब होना और उसका पाखाना पेशाब क़्यामत के दिन उस शख्स के नेकी के पल्ले पर होगा। (बुखारी)

हज़रत अबू मसऊद रजि० से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में एक ऊँटनी लिए हाजिर हुआ जिस पर नकेल पड़ी हुई थी अर्ज किया या रसूलुल्लाह यह अल्लाह के लिए है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया सात सौ ऊँटनियाँ नकेल पड़ी हुई इसके बदले में तुम को मिलेंगी। (मुस्लिम)

निशाने बाजी की फज़ीलत-

हज़रत अबू हम्माद रजि० से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिम्बर पर फरमाते सुना है “जो कुछ तुम्हारे पास कुव्वत हो दुशमन के लिए तैयार रखो”, सुन लो कुव्वत तीर अंदाज़ी है, सुन लो

कुव्वत तीर अंदाज़ी है, सुन लो कुव्वत तीर अंदाज़ी है (मुस्लिम) (हदीस शरीफ में लफ़्ज़ ‘रमी’ है उस समय उससे मुराद तीर अंदाज़ी वगैरह थी, अब क़्यामत तक जितने नये अस्लहे उसके लिए निर्मित होंगे सब इसमें सम्मिलित हैं) हज़रत अबू हम्माद रजि० से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अंकरीब यानी जल्द ही तुम्हारे लिए बहुत से मुल्क फतह हो जायेंगे और अल्लाह तआला तुम को बहुत कुछ अता फरमायेगा मगर देखो तीर अंदाज़ी का खेल न छोड़ना।

(मुस्लिम)

हज़रत अबू हम्माद रजि० से रिवायत है जिसने तीर अंदाज़ी सीख कर छोड़ दी वह हम में से नहीं है या यह फरमाया कि उसने मेरी ना फरमानी की। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हम्माद रजि० से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते सुना है कि एक तीर की वजह से अल्लाह तआला तीन आदमियों को जन्नत में दाखिल करेगा, बनाने वाले को जो अज्ञ व सवाब की उम्मीद में बनाये, दूसरे तीर अंदाज़ को, तीसरे वह जो तीर उठा कर तीर अंदाज को दे, फिर फरमाया कि तीर अंदाज़ी और शह सवारी किया करो और मुझे तुम्हारी तीर अंदाज़ी शह सवारी से ज़ियादा पसंद है और जिसने तीर अंदाज़ी सीख कर छोड़ दिया उसने एक नेमत ठुकरा दी यानी नेमत की ना शुक्री की। (अबू दाऊद)

हज़रत सलमा बिन अल अक़वअ़ रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों के पास से गुज़रे जो तीर अंदाज़ी कर रहे थे, आपने फरमाया ऐ इस्माईल की औलाद खूब तीर अंदाज़ी करो, तुम्हरे बाप तीर अंदाज़ थे। (बुखारी)

हज़रत अम्र बिन अब्सा रजि० से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि जो शख्स अल्लाह की राह में एक तीर चलाये उसको एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। (अबू दाऊद—तिर्मिजी)

अल्लाह के रास्ते में खर्च-

हज़रत अबू यह्या खुरैम बिन फातिक रजि० से

रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च करेगा उसके लिए सात सौ से ऊपर नेकियाँ लिखी जायेंगी।

(तिर्मिजी)

जिहाद की हालत में रोज़ा-

हज़रत अबू सईद खुट्टी रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कोई अल्लाह का बन्दा अल्लाह की राह में (जिहाद में) एक दिन रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तआला उसके चेहरे को सत्तर साल तक आग से दूर रखेगा। (बुखारी—मुस्लिम)

हज़रत अबू उमामा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह के रास्ते में (यानी जिहाद में) एक दिन रोज़ा रखा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और आग के दरमियान एक खन्दक कर देगा जिस का फर्क आसमान व ज़मीन के बराबर होगा। (तिर्मिजी)

—प्रस्तुति—

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

सच्चा राही अप्रैल 2015

अल्लाह केवल पूज्य है

अल्लाह केवल पूज्य है, और नहीं कोई पूज्य नबी, मुहम्मद अल्लाह के, अल्लाह उनका पूज्य नबी का आज्ञा पालन ही है, सत्य धर्म इस्लाम नबी को भेजा अल्लाह ने, जो है सबका पूज्य

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

स्वदेश यात्रा

—डॉ हारून रशीद सिद्दीकी

रहना जहाँ सदा है अपना वतन वही है
यह आरिज़ी वतन है अस्ती वतन वही है
कर फिक्र उस वतन की रहना जहाँ सदा है
अच्छा बुरा वहाँ का बनता मगर यहीं है
कर बन्दगी खुदा की बन्दा है तू खुदा का

हर जीव को मौत का स्वाद चखना है, तुमको इस संसार में अपने किये भले बुरे कर्मों का पूरा पूरा फल तो कियामत ही में मिलेगा, अतः जो वहाँ (जहन्नम की) आग से बचा लिया गया और जन्नत में प्रवेश पा गया नि: सन्देह वह सफल हो गया, और यह सांसारिक जीवन तो केवल माया सामग्री है। (पवित्र कुर्�आन आले इमरान: 185)

मानव बुद्धि में हर वस्तु अपने प्रतिकूल अर्थ से पहचानी जाती है जैसे ऊँचाई से नीचाई, अच्छाई से बुराई, सफेद से काला आदि, इसी प्रकार जीवन से मरण को जाना जाता है, जो व्यक्ति जन्म लेता है वह अपने मरने की सूचना भी लाता है, इस प्रकार मौत इतनी निश्चित है कि इसे एक बच्चा भी जानता है, फिर भी मनुष्य इसे भूला रहता है, सो जलखनवी ने इसे अपने उर्दू शोअर में यूं कहा है—

मक़बरों में देखते हैं अपनी इन आँखों से रोज़
यह बिरादर, यह पिदर, यह रवेश, यह फरज़न्द हैं
तो भी रअनाई से ठोकर मार कर चलते हैं यार
सूझता इतना नहीं सब ख़ाक के पैवन्द हैं

टल्लाह के अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आदेश है कि क़बरों की जियारत (दर्शन) किया करो, कबरें मौत को याद दिलाती हैं। इससे ज्ञात हुआ कि मौत को याद रखना इस्लाम में पसन्दीदा है

मौत के याद रखने से मनुष्य बहुत से पापों से बच जाता है और अगला जीवन याद रखता है।

मौत क्या है? यह इस अस्थाई जीवन तथा शास्वत जीवन के बीच का पुल है जो लोग इस संसार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताये हुए तरीके पर जीवन बिताते हैं वह मौत का स्वागत करते हैं दूसरे साधारण लोग मौत से भयभीत रहते हैं। मौत से डरने का वास्तविक कारण तो यह होता है कि आदमी जब इस संसार में आ कर आँखें खोलता है तो शीघ्र ही अपनी माता से प्रेम करने लगता है फिर जूँ जूँ बढ़ता है बहनों, भाइयों, बाप, चाचा और परिवार के सभी लोगों से प्रेम करने लगता है, परिवार के लोग भी उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, विवाह होता है वह अपनी पत्नी तथा सन्तान से

गहरा प्रेम करने लगता है, ये ह पारस्परिक प्रेम इतना अधिक होता है कि इसके छूटने पर मनुष्य को अत्यधिक दुख होता है, मौत इन तमाम प्रेमों को छुड़ा देती है इसलिए वह मौत से डरता है। जो लोग अगले वास्तविक जीवन पर यकीन रखते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं वह अपने जीवन में अल्लाह के आदेशों पर चलते हुए अल्लाह को खूब जपते और उसके गुणों को खूब याद करते रहते हैं उनको भी मौत से डर लगता है, परन्तु उनका यह डर स्वाभाविक तथा प्राकृतिक होता है।

इस सब के साथ सब जानते हैं कि चाहे जिससे जितना प्रेम हो, चाहे जितनी सम्पत्ति हो, चाहे जितनी दौलत हो, चाहे जितना ऊच्च पद हो, राजा हो, प्रजा हो, सदाचारी हो, कुकर्मी हो एक दिन मौत आनी है और यह संसार छूटना है तथा स्वदेश लौटना है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस चिन्ता में रहे कि उसको

अपने उस देश में क्या स्थान मिलेगा, उस देश में दो ही स्थान हैं जन्नत और जहन्नम।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बताई हुई बात आँखों देखी बात से अधिक निश्चित होती है, आपके कर्मों (अहादीस) से ज्ञात हुआ कि मोमिन बन्दे को उसके अन्तिम समय पर (हमारे देखने में चाहे जितना कष्ट दिख रहा हो परन्तु वास्तव में) फिरिश्ते उसको बधाई देते हैं कि तू अब बहुत अच्छे स्थान पर जा रहा है और बहुत अच्छा घर पा रहा है, जिस धरती पर यह चल फिर रहा था वह तो उसके छूटने से रोती है परन्तु, कब्र उसका स्वागत करती है और उसको एक बार ऐसा लिपटा लेती है जैसे माँ अपने लाडले बच्चे को प्रेम से खींचती है, फिर कब्र उसकी नजरों में लम्बी चौड़ी हो जाती है, नकीरैन (दो ईशा दूत) आते हैं तो उसको कोई भय नहीं लगता, वह उससे जो तीन

प्रश्न करते हैं, कि तेरा दीन (धर्म क्या है, तेरा रब कौन है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विषय में तू क्या कहता है) तो उसको नकीरैन की आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है और वह तीनों प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देता है, फिरिश्ते कहते हैं अब तू रो जा जैसे एक दुलहन सोती है, वह खुश हो कर कहता है रुक जाओ मैं अपनी सफलता की सूचना अपने घर वालों को दे आऊँ, फिरिश्ते कहते हैं कि नहीं अब यहां से जा कर अपने परिवार को सूचना देने जाने का यहां नियम नहीं है, तू आनन्द की नींद सो जा, वह सो जाता है और फिरिश्ते चले जाते हैं।

रिवायत से यह भी ज्ञात होता है कि मोमिन बन्दा जब कब्र के प्रश्नों से छुट्टी पा कर सोता है तो पहले से कब्रों में पहुंची मोमिन रुहें उससे मिलने आती हैं और उसको जगा कर अपने परिवार के लोगों के विषय में पूछते हैं तो वह बताता है

कि अमुक अमुक का तो देहान्त हो चुका है, तो वह खेद प्रकट करते हैं कि कदाचित वह जहन्म वालों में भेज दिया गया फिर वह आनन्द की नींद सो जाता है।

ज्ञात रहे कि भूख प्यास, मल, मूत्र का सम्बन्ध इसी सांसारिक शरीर में है, मरणोपरान्त जो शरीर मिलता है वह इन आवश्यकताओं से रहित होता है वहां जो कुछ खाने पीने को मिलता है वह केवल आनन्दित करने को मिलता है, पवित्र कुर्�आन में है कि शुहदा (अल्लाह की राह में जान देने वालों) को अल्लाह तआला की ओर से खिलाया जाता है, उसका यही अर्थ है कि उनको आनन्दित करने के लिए उनको प्रिय शरीर प्रदान होता है और स्वादिष्ट खाद्य, स्वादिष्ट फल आदि खिलाये जाते हैं, रिवायात में आता है कि दूसरे बाज़ मोमिन की आत्माओं को अपने पाये शरीर के साथ जन्नत के फल खाने का अवसर दिया जाता है, इस प्रकार मोमिन का बरजखी (कब्र का जीवन) बड़ा आनन्दित होता है ऐसा

आनन्दित कि जब वह कियामत में उठाया जायेगा तो उसे लगेगा कि वह संसार में थोड़े ही समय के लिए भेजा गया था।

कियामत का दिन बड़ा ही कठोर होगा, उस दिन सूर्य की धूप बड़ी कड़ी होगी, धरती तप रही होगी प्यास से लोग ब्याकुल होंगे हर एक को बस अपनी चिन्ता होगी अपने करीबी सम्बन्धियों से भी आदमी भागेगा प्यास से बुरा हाल होगा कहीं पानी का नाम न होगा, कष्ट से अचेतना भी न होगी कि आराम मिल जाए उस हाल में भी मोमिन बन्दा राहत में होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हौज़े कौसर (कौसर जल कुण्ड) से मोमिन को पानी पिला रहे होंगे जिसको एक बार पीने के पश्चात फिर प्यास न लगेगी, उस कड़ी धूप में ईमान वालों के लिए अर्श का साया (छाया) होगा, सबका लेखा जोखा होगा, ईमान वालों का लेखा जोखा (हिसाब किताब) बहुत सरल होगा, पुलसिरात से गुजार कर कर्मानुसार जन्नत या फिर जहन्म का

प्रवेश मिलेगा, ईमान वाले पुलसिरात के कठिन पुल से आँख झापकते पार हो कर जन्नत में प्रवेश करेंगे, ईमान न लाने वाले उस कठिन पुल पर से जहन्म में गिर जाएंगे यह पुल जहन्म के ऊपर बना होगा, जहन्म की आग और वहां का दुख सोच कर कलेजा काँपता है, किसी महा पुरुष का कथन है कि "मुझे आश्चर्य है कि जहन्म पर, ईमान लाने वाला और उसकी जानकारी रखने वाला इस संसार में हंसता कैसे है? प्रसन्न मोमिन जन्नत में जो सुख पाएगा उसको आदमी सोच भी नहीं सकता स्वादिष्ट दूध की नहरें स्वच्छ जल की नहरें, स्वच्छ मदिरा की नहरें, स्वच्छ मधु की नहरें, भाँति भंति के न समाप्त होने वाले स्वादिष्ट फल आनन्द देने वाली सुन्दर हूरें होंगी और सेवा करने वाले बड़े ही सुन्दर बालक होंगे जो सदैव बालक ही रहेंगे। चिड़ियों का स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा और जो मन चाहे वह तुरन्त मिलेगा, चाहे जितनी मदिरा पियो कोई कष्ट न होगा, चाहे जितना

दूध पियो, मधु पियो, जल पियें चाहे जितने स्वादिष्ट फल खायें, न पेट फूलेगा न बदहज्मी होगी न मल करने की आवश्यकता होगी न पेशाब निकालने की एक डकार आई सारा खाया पिया पच जाएगा, हूरों से, अपनी पत्नियों से जितना भी आनन्द लें न कोई निर्बलता होगी न कोई अपचिष्टा, बड़े बड़े सोने चाँदी के भवन, जहाँ चाहें वहीं सरलता से आएं जाएं, वहाँ कभी कोई दुख न होगा न जन्नती जन्नत से कभी निकाला जाएगा।

अब आप उस देश से जो सदैव के लिए है जहाँ सदैव रहना है जहाँ शास्वत जीवन है इस देश से समीक्षा करके सोचें कि वह देश जहाँ कि हर वस्तु क्षणभंगुर हैं जहाँ हर दशा में जाना है, स्वदेश कौन है? अलबत्ता यह देश भी इस दृष्टि से अति आवश्यक है कि मरने के पश्चात् कब्र के लम्बे जीवन का सुख और कियामत के पश्चात् जन्नत के शास्वत जीवन का सुख इस देश के कर्मों पर निर्भर है जो यहाँ

अल्लाह पर ईमान लाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाया और उनके अनुकरण में जीवन बिताया उनको वर्णित सुख प्राप्त होगा, दूसरों को नहीं ऐसी दशा में एक मोमिन का मरना स्वदेश की यात्रा करना है परन्तु मुनकिरों का मरना कठोर जेल में जाना है अल्लाह तआला अपने इच्छित मार्ग पर चला कर मरने के पश्चात् के सभी प्रकार के सुख प्रदान करे, आमीन।

रही बात परिवार वालों के छूटने का क्षणिक दुख तो हम को चाहिए कि अपने परिवार वालों को ईमान पर जमे रहने का आहवान करते रहें अगर उनका देहान्त ईमान पर हुआ तो उनसे कब्र के जीवन में भी भेंट होगी और जन्नत में भी परन्तु यदि उनका देहान्त ईमान पर न हुआ (अल्लाह न करे ऐसा हो) तो उनका साथ सदैव के लिए छूट जाएगा और उनके छूटने का दुख भी समाप्त हो जाएगा, इनशा अल्लाहु तआला। □□

अल्लाह (ईश्वर) ही पूज्य है

राम हमारे उत्तम पुरुष परन्तु नहीं वह पूज्य कृष्ण हमारे आदरणी वह भी नहीं हैं पूज्य नबी मुहम्मद जग के नायक ईश्वर के वह अन्तिम दूत रब की रहमत उतरे उन पर वह भी नहीं है पूज्य पूज्य हमारा केवल अल्लाह और नहीं कोई पूज्य ईश्वर ने यह सृष्टि रची है मानव जाति हे तु मानव की सब सेवा में है चन्दा तारे सूर्य समुद्र नदी और जंगल पर्वत पशु पक्षी विचित्र लाभ उठाओ तुम इन सबसे नहीं बनाओ पूज्य ईश्वर भी है नाम उसी का वही है सबका पूज्य महा पाप है अन्य को पूजा पूज्य तो बस अल्लाह उसी को हम हैं ईश्वर कहते वही हमारा पूज्य

❖❖❖

जनानायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—अनु० मुहम्मद गुफ़रान नदवी

आप सल्ल० की खिलाफ़त का मक्कला (समस्या) —

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात को खुदा की तरफ से हकीक़त समझ लेने पर आपको आपकी कब्र मुबारक में पहुंचाने से पहले हज़रत अन्सार अपने एक साएबान में जमा हो कर आगे की समस्या पर गौर करने लगे। हज़रत मुहाजिरीन को इत्म हुआ तो वह भी वहां आ गये और मशकिरा होने लगा। हज़रत अंसार ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे यहां मुन्तकिल हो गए थे लिहाज़ा हमारा कोई अहम आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाएब बने। मुहाजिरीन ने कहा कि अरबों में कुरैश को जो अहमियत हासिल है कि उनमें से किसी के अमीर बनने पर अरबों में से कोई इख्तिलाफ़ नहीं करेगा। लिहाज़ा उनमें ही से किसी आदमी का इन्तिखाब हो। यह बात ख़ास तौर पर एक

हज़रत अबू बक्र रज़ि० ने की और हज़रत उमर रज़ि० का नाम पेश किया। हज़रत उमर ने कहा आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सबसे ज़ियादा करीब रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बीमारी में आप ही से नमाज़ें पढ़वायीं। इसलिए आपके अलावा दूसरा कोई मुनासिब नहीं और फ़ौरन उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बैअत कर ली। इसको देख कर मौजूद लोगों ने भी हज़रत अबू बक्र रज़ि० के हाथ पर बैअत करना शुरू कर दिया और मशवरे की यह बैठक आसानी के साथ मुनासिब नतीजे तक पहुंच गयी और हज़रत अबू बक्र रज़ि० खलीफ़ —ए—रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अमीरुल मोमिनीन करार पाये। फिर जो मुसलमान उस बैठक में पहुंच नहीं सके थे, उन्होंने भी आ आ कर उनके हाथ

इताअत (आज्ञा पालन) का ऐलान कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ज़मीनी आरामगाह तक पहुंचने से पहले मुसलमानों का अमीर (नायक) हासिल होने में कोई वकफ़ (विराम) नहीं हुआ और हज़रत अबू बक्र रज़ि० की सरपरस्ती और रहनुमाई में इस्लाम का काफिला खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने माली बरसा के मुतअल्लिक पहले से बता दिया था कि उनके अहलो अ़्याल के बजाए तमाम मुसलमानों का होगा। लिहाज़ा यह बैतुलमाल के सुपुर्द हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की औलाद में सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा रज़ि० ज़िन्दा थीं। बाकी औलाद और बेटियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

की ज़िन्दगी के दौरान ही इन्तिकाल किया था। इस तरह अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिए यह “उसवा” (आदर्श) भी ज़ाहिर कर दिया कि औलाद के इन्तिकाल से सदमा (दुख) पेश आने पर एक मुसलमान का क्या नमूना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियाँ-

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियों में से दो का आपकी मुबारक ज़िन्दगी में ही इन्तिकाल हो गया था। वह भी मुसलमानों के लिए बीवी के इन्तिकाल की सूरत पेश आने पर नमूना बना। आपकी सबसे पहली ज़ौज-ए-मुतहहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजह रज़ि० जो आपकी ज़िन्दगी के शुरू के 25 साल तक आपकी तन्हा अहलिया थीं और बहुत उन्स और आपसी मुहब्बत का तअल्लुक रखती थीं। 25 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ रह कर मक्की ज़िन्दगी के क़्याम में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम से जुदा हो गई थीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मदनी ज़िन्दगी में हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा उम्मुलमसाकीन रज़ि० आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जुदा हुई। बाकी अज़वाजे मुतहहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बेवह हुई और उन्होंने बेवह होने पर मुसलमान खातून का जो उसवा (आदर्श) होना चाहिए उसका नमूना पेश किया और शायद इसी लिए उनको किसी दूसरे से निकाह करने की इजाज़त नहीं दी गयी थी कि आपसे हासिल किये हुए तौर तरीके और अखलाक में दूसरे से हासिल किये हुए अखलाक की मिलावट न हो जाए। कुरआन मजीद में यह हुक्म आया है कि मुसलमानों के लिए यह सही नहीं है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ौजह मुतहहरा से निकाह करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद ज़िन्दा रहने वाली पाक बीवियों के नाम

निम्नलिखित हैं:-

हज़रत आइशा, हज़रत हफ़सा, हज़रत सौदा, हज़रत उम्मेसलमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत जुवैरिया, हज़रत उम्मेहबीबा, हज़रत मैमूना, हज़रत सफ़ीया रज़ि० अल्लाहु अन्हुन्न।

कई बीवियों की हिक्मत व मसलहत-

इस्लाम से पहले और इस्लाम के अलावा दूसरे निज़ामे ज़िन्दगी (जीवन व्यवस्था) में अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक कई बीवियाँ रखने का रिवाज रहा है। इस्लाम ने आकर उनकी संख्या पर पाबन्दी लगाई और एक से ज़ियादा बीवी करने की ज़रूरत पड़ने पर इसकी इजाज़त दी है लेकिन इसको बराबरी और इंसाफ की शर्त के साथ बांधते हुए चार तक सीमित कर दिया है।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 25 साल की उम्र होने पर जो नबूवत मिलने से 15 साल पहले थी, निकाह किया और वह भी अपने से 15 साल की बड़ी

उम्र की एक बेवह खातून से किया और उसी पर 25 साल तक कायम रहे और जब आपकी उन बीवी का इन्तिकाल हो गया और ज़रूरत पड़ी तो उन्हों की तरह एक दूसरी बेवह खातून से निकाह किया। इस तरह नबूवत के 13 साल बाद जबकि आपकी उम्र 53 साल से ज़ियादा हो गई थी और नबूवत के सामाजिक व इन्तिज़ामी मामलात के तकाज़ों की वजह से मुख्यतः लिफ़ जगहों और तरह तरह के लोगों से आपको सम्बन्ध स्थापित करना पड़ रहे थे, जो इस्लाम के प्रचार और इस्लाम के इन्तिज़ामी मामलात और उसके तहत सामाजिक तअल्लुकात के सिलसिले में ज़रूरी थे, तो ऐसी ज़रूरतों की वजह से आपको कई शादियाँ करने की ज़रूरत पड़ी और अल्लाह तआला की तरफ़ से इसकी इजाज़त दी गई। चुनांचे उम्र के 54 साल

गुज़रने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस सूरत को इख्तियार किया और आपकी उम्र का मरहला भी अब ऐसा था कि इसमें नई शादी किसी शौक व लुत्फ के लिए नहीं की जाती, सिर्फ़ ज़रूरत के लिए ही की जाती है। जैसे जैसे ज़रूरत महसूस करते गए ज़ायद बीवियाँ इख्तियार कीं। और आपका यह तरीका आपकी अपनी उम्र के आखिरी 9 साला मुद्दत के अन्दर रहा और तादाद एक वक्त में 8 से ज़्यादा नहीं हुई और हर नई शादी अपने लिए पूरी पांडी और सामाजिक ज़रूरत रखती थी। इस तरह आपने यह खुद खवाहिश से नहीं किया बल्कि नियमपूर्वक अल्लाह तआला की तरफ़ से आपके लिए इसकी गुंजाईश दी गयी ताकि नबूवत के कामों और उम्मत के नाना प्रकार का नमूना पेश करने की सूरत सामने आए और

उसके साथ अल्लाह तआला ने पाबन्दी भी ऐसी लगा दी जिससे उनकी ज़िन्दगी मेहनत व कुर्बानी और अल्लाह तआला की रज़ा (प्रसन्नता) और दीन के अधीन हो।

“ऐ पैग़म्बर अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी ज़ीनत (शोभा) व आराइश की तलबगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुखसत कर दूँ और अगर तुम खुदा और उसके पैग़म्बर और आखिरत के घर (बहिश्त) की तलबगार हो तो तुममें जो नेकोकारी करने वाली है उनके लिए खुदा ने बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। ऐ पैग़म्बर की बीवियो! तुममें से जो सरीह नाशाइस्ता असम्य, (अल्फ़ाज़ कह कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ़ देने की) हरकत करेगी उसको दूनी सज़ा दी जायेगी और यह बात खुदा को आसान है

और जो तुममें से खुदा और उसके रसलू की फरमाबरदार रहेगी और अमल नेक करेगी उसको हम दूना सवाब देंगे और उसके लिए हमने इज्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है। ऐ पैगम्बर की बीवियो! तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेज़गार (सदाचारी) रहना चाहती हो तो किसी अपरिचित आदमी से नर्म नर्म बातें न करो ताकि वह शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज़ है कोई उम्मीद न पैदा करे और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो और जिस तरह (पहले) जाहिलियत के दिनों में बनाव श्रृंगार का दिखावा करती थीं उस तरह श्रृंगार न दिखाओ और नमाज़ पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो। खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो ऐ पैगम्बर के अहले बैत! खुदा चाहता है कि तुमसे नापाकी (मैल कुचैल) दूर कर दे और

तुम्हें बिल्कुल पाक साफ़ करदे। और तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिक्मत की बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो। बेशक खुदा बारीकबीं (सूक्ष्मदर्शी) और बाखबर है।" (अहज़ाबः 28-34)

जियादा बीवियों का रिवाज यूं भी उस ज़माने के अरबों में आम था, उसमें ख्वाहिश व पसंद के अलावा और खानदानी ज़रूरत के साथ साथ कुछ दूसरी ज़रूरतें भी हुआ करती थीं, उनमें से एक बात औलाद की संख्या बढ़ाना था ताकि कबीले की संख्यात्मक शक्ति में उन्नति हो। क्योंकि कबीलों के बीच में आपसी लड़ाइयों का सिलसिला चलता रहता था और दूसरे खानदानों में अपने रिश्ते बनाने के ज़रिये अपने खानदानी सहायकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी होता था। इस मक़सद के लिए वह ऊँचे खानदानों से रिश्ते करते थे ताकि दूसरे खानदानों में रिश्ता कायम

होने पर उनको ज़रूरत पड़ने पर समर्थन और सहायता हासिल हो जाए। किसी खानदान के फर्द का दूसरे खानदान के फर्द से वैवाहिक संबंध हो जाना उस खानदान से सहयोग और समर्थन का ज़रिया बनता था। और यह कामनमाने तरीके से किया जाता था। इस्लाम के आने के बाद उसको ऐसा कन्ट्रोल किया गया कि उसमें मनमानी और बेजा तरीका इख्तियार न किया जा सके। आपको नबवी ज़िम्मेदारियों के अंजाम देने और दुश्मनों की दुश्मनी पर रोक लगाने की हिक्मत ने भी आपके लिए कई निकाह की ज़रूरत पैदा की।

इस्लाम से पहले अरबों की रास्ते से भटकी और जाहिलियत की ज़िन्दगी में इज़्ज़ दिवाजी तअल्लुक (वैवाहिक सम्बन्ध) तकरीबन चार मुख्तलिफ़ तरीकों से कायम किया जाता था। उनमें से कई तरीके आज़ादरवी के बल्कि लज्जारहित थे। इस्लाम ने

आकर उसमें से सिर्फ एक तरीका जो शरीफाना और मुनासिब और लज्जायुक्त था बाकी रखा और अनिवार्य कर दिया। बाकी तरीकों को ममनूआँ (वर्जित) करार दिया और उसके साथ ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ चार बीवियों तक की गुनजाईश रखी और अपने आखिरी नबी के लिए दावती, इन्तिज़ामी मसलेहत की खातिर उसके इजाफे की गुन्जाईश कर दी लेकिन उसको भी 11 तक सीमित कर दिया।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इज़दिवाजी ज़िन्दगी का जायज़ा लेने पर यह विशेषता पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पूरी इज़दिवाजी ज़िन्दगी (वैवाहिक जीवन) बहुत सावधान और जवानी की खुवाहिश और मनमानी ज़िन्दगी की बेहतियतियों से बिल्कुल सुरक्षित थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नबूवत मिलने से पहले भी खानदान में खौरखुवाही और खौरपसन्दी के जो कोई काम होते उसमें भरपूर हिस्सा लेते। वैवाहिक

जीवन शुरू करने में आपने कोई जल्दबाज़ी भी नहीं की बल्कि संजीदा अंदाज़ में और एहतियात के साथ समय गुज़ारा और जब अच्छा रिश्ता मिला तो वैवाहिक जीवन में क़दम रखा।

आपकी पहली बीवी ख़दीजा बिन्त खुवैलिद हुई, जो आपसे 15 साल बड़ी थीं और जो पूरे कबीले में इज़ज़त वाली सदाचारी समझी जाती थीं और एक शौहर के इन्तिकाल के बाद बेवह हो गयी थीं²।

नबूवत की ज़िम्मेदारी मिलने से पहले जबकि आप पर कोई मज़हबी पाबन्दी ज़रूरी नहीं हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके साथ आपसी मुहब्बत व उल्फत और एक दूसरे से मुवानिसत (आत्मीयता) के अंदाज़ से संजीदा और समानपूर्वक ज़िन्दगी गुज़ारी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबूअत की ज़िम्मेदारी सुपुर्द हुई तो भी उनका व्यवहार आपके साथ समर्थन और अनुकूलता का रहा। और जब भी बड़ी ज़िम्मेदारी के एहसास से ज़ेहनी दबाव महसूस करते

तो आपको आपकी पत्नी की तरफ से तसकीन व हमदर्दी हासिल होती थी। चुनांचे जब आप पर पहली “वही” (ईश्वाणी) आई और आपने उसका बहुत बोझ महसूस किया तो आपके दिल को मज़बूत करने के लिए अपने रिश्तदार वरक़ा बिन नौफ़ल के पास ले गई और उनसे तसकीन की बात कहलवाई। वह पिछले नबियों के हालात का इल्म रखते थे और उनको पिछले नबियों के अक़वाल (कथन) से ऐसी सूरत के वजूद में आने का इल्म हासिल हो चुका था। लिहाज़ा उन्होंने तसकीन दी और नबूवत की तसदीक की³। उसके बाद जब नबूवत की ज़िम्मेदारी आप अंजाम देने लगे और उसकी वजह से लोगों की तरफ से आपको तकलीफ़ पहुंचाई जाने लगी तो आप उससे प्रभावित हो कर जब घर लौटते तो आपकी बीवी तसकीन व हमदर्दी के अल्फ़ाज़ (शब्द) प्रयोग करती।

1. तफ़सीर तबरी 18/401, सही बुखारी, किताबुन निकाह, बाबु मन काला ला निकाह इल्ला बिवलीयिहि।

2. अलबिदाया वन—निहाया 2/297–295

3. सीरते इन्हे हिशाम 1/236–241

आप सल्लल्लाहु अलैहि व
सल्लम ने भी उनके जीवन
काल में उनके अलावा किसी
दूसरी औरत से निकाह नहीं
किया उन्हीं पर संतोश किया।
यहां तक कि 25 साल उनके
साथ गुज़ारा उसके बाद
उनका देहान्त हो गया।

आपने अपनी पहली
बीवी हज़रत खदीजा के
इन्तिकाल के बाद जो कि
आपकी 50 साल की उम्र
होने पर वफात पा गयी थीं
कुछ दिन ठहरे रहे फिर
तअल्लुक वालों के मशवरे पर
जिन खातून से निकाह किया
वह भी बड़ी उम्र वाली थीं और
उनमें ज़ाहिरी कशिश भी कम
थी। यह हज़रत सौदा बिन्त
ज़मअ करशिया आमिरया थीं
उनका रिश्ता कुबूल करने में
अपनी उन साहबज़ादियों की
जो अभी कम उम्र थीं की देख
भाल और सरपरस्ती की
ज़रूरत की मसलेहत थी।
इसीलिए बड़ी संजीदा तबीअत
खातून को जीवन साथी बनाने
को इख्तियार किया'। उम्र के
53 साल गुज़र जाने के बाद
जब अपने मानने वालों के
साथ हिजरत करके मदीना
आ गए और वहां के
मुसलमानों की सामाजिक

और दीनी मसलहतों के
मुनासिब तरीके इख्तियार
करते हुए ज़ंगों से साबिका
पड़ा तो आपको मुख्तलिफ
खानदानों और कबीलों को,
उनमें वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित
करके, करीब करने और
अपना हमदर्द (शुभचिन्तन)
बनाने की ज़रूरत से विभिन्न
प्रधान लोगों और सरदारों
के यहां के रिश्ते कायम
किये और उसके ज़रिये
इंसानी हमदर्दी और
सामानता की भी बाज
मिसालें कायम कीं। चुनांचे
कुरैश के सरदार और सेनापति
की बेटी उम्मे हबीबा बिन्त
अबी सुफ्यान उम्मी को
पत्नी के रूप में कुबूल किया
जिन्होंने इस्लाम को अपने
शौहर के साथ कुबूल करके
हबशा हिजरत की थी और
वहां उनके शौहर इस्लाम
छोड़ कर ईसाई हो गये थे
और वह तन्हा पड़ गई थीं
और यहूदी कबीले बनू
नज़ीर के सरदार हय्यि बिन
अख़तब की बेटी सफिया
नज़रिया यहूदिया को बीवी
बनाया' जो कि जंग में
गिरफ्तार हो कर बांदी करार
पाई थीं। आपने यहूदी

कबीले पर एहसान रखने की
खारित उनको आज़ाद
करके अपनी ज़ौजियत में ले
लिया और एक दूसरे यहूदी
कबीले बनु मुस्तलिक के
सरदार हारिस बिन ज़रार
की बेटी जुवैरिया भी बांदी
हो कर मुसलमानों को
हासिल हुई थीं। उनको भी
आपने सरदार कबीले को
एहसान मंद बनाने के लिए
आज़ाद किया और उनको
भी रफ़ीक—ए—हयात बना
लिया'। जिसके असर से पूरा
कबीला एहसानमंद हुआ और
मुसलमान हो गया। दूसरी
तरफ अपने करीबतरीन साथी
हज़रत अबू बक्र की
साहबज़ादी हज़रत आयशा
को, और दूसरे करीब तरीन
सहाबी हज़रत उमर की
साहबज़ादी हज़रत हफ़्सा
को रफ़ीक—ए—हयात बनया'।
तीसरे करीब तरीन सहाबी
हज़रत उस्मान बिन अफ़कान
जो कि कबीले कुरैश के
खानदाने उम्मी के अहम फर्द

1. अलकामिल फ़ित्तारीख 2/307, जादुल
मआद 1/105

2. तारीख तबरी 3/165, अलकामिल
फ़ित्तारीख 2/307

3. सीरते इब्ने हिशाम 2/646

4. सीरते इब्ने हिशाम 2/645

थे, जिसके सरदार अबू सुफया¹ आपसे जंग के सरबराह होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी दो साहबज़ादियों को उनकी जौजियत (विवाह) में दिया¹।

उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा हिलालिया को अपनी जौजियत में कुबूल किया, जो शादी के दो माह बाद वफात पा गई²। फिर उम्मे सलमा हिन्द बिन्त उमय्या करशिया मखजूमिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी जौजियत में लिया³। उन्होंने अपने शौहर के हिज़रते मदीना के मौके पर अपने खानदान की तरफ से तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला साल भर तक बर्दाश्त किया था और इस्लाम की वफादारी में फर्क नहीं आने दिया था और साल भर के मुजाहिदे के बाद मदीना अपने शौहर के पास आई लेकिन जल्द ही एक जंग में उनके शौहर शहीद हो गए और वह तन्हा रह गई आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको

जौजियत में लेकर हमदर्दी का सुबूत दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी फूफीज़ाद बहन ज़ैनब बिन्त जहश जो खानदानी इज़ज़त का बड़ा मकाम रखती थी जमहूरियत व मसावात की मिसाल कायम करने के लिए अपने आज़ाद कर्दा गुलाम ज़ैद बिन हारिस की जौजियत (विवाह) में दे दिया। उन्होंने भी इस निकाह को अपनी तबीअत पर जब करके अपने मामूज़ाद भाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम थे उनकी मर्जी को अपनी मर्जी पर तरजीह देते हुए कुबूल किया। बाद में दोनों के तअल्लुकात साज़गार (अनुकूल) न हो सके और हिज़रत ज़ैद ने तलाक़ दे दी जिससे उन मुअज़ज़ज़ (सम्मानित) खानदान की खातून की एक आज़ाद कर्दा गुलाम से तलाक़ मिलने पर दिलशिकनी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व سल्लम ने उसकी पूर्ति में उन तलाक़ शुदा को अपने निकाह में कुबूल फरमा लिया⁴। इस तरह एक दूसरी मिसाल यह कायम की कि

अल्लाह तआला के उस हुक्म पर सबके सामने ऐलान हो गया कि हज़रत ज़ैद जो आज़ाद किये हुए गुलाम होने के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुँह बोले बेटे बनाये गये थे, मुँह बोले बेटे की तलाक़ शुदा बीवी से शादी जाहिलियत में ऐब समझी जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस तलाक़ शुदा का सम्मान करते हुए अल्लाह तआला के हुक्म से यह बात भी जाहिर फरमा दी कि मुतबन्ना मुँह बोला बेटा बनाने से कोई बेटे की तरह नहीं हो जाता, और उसकी वज़ाहत कुरआन मजीद में भी आ गयी—

अनुवाद—

“फिर जब ज़ैद ने उससे कोई आवश्यकता (सम्बन्ध) न रखा (यानी उसको तलाक़ दे दी) तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया” (सूरः अहज़ाब—37)

1. तारीख तबरी 3 / 161–162, जादुल मआद 1 / 106
2. अलबिदाया बन—निहाया 5 / 293
3. जादुल मआद 1 / 106, सीरते इब्न हिशाम 2 / 647
4. तारीख तबरी 3 / 164, जादुल मआद 1 / 106
5. तारीख तबरी 3 / 165



हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में

पैदाइश से बालिग होने तक आधारभूत इस्लामी आस्थाएं

—हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह0

रात्रि के पिछले पहर तहज्जुद
की नमाज़-

दोनों ईदों की नमाज़ों
का वर्णन मुसलमानों के
त्यौहार से सम्बन्धित भाग में
किया जा चुका है। तरावीह
की नमाज़ का उल्लेख रोज़ों
के सिलसिले में आयेगा।

फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद
(नफ़ली नमाज़ों में से) तहज्जुद
की नमाज़ का बड़ा महत्व
है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू
अलैहि व सल्लम ने इसकी
ऐसी पाबन्दी की और
कुरआन मजीद में इसके
सम्बन्ध में ऐसे प्रेरणात्मक
शब्दों में वर्णन किया गया है
कि उसके आधार पर
विद्वानों के एक वर्ग का ऐसा
विचार हो गया कि वह आप
सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम
के लिए फ़र्ज़ (अनिवार्य) थी।
अब भी बहुत से वास्तविक
अर्थों में कहे जाने वाले
मुसलमान तहज्जुद पढ़ने के
बड़े पाबन्द हैं और कदाचित्

दूसरे इस्लामी देशों में कुछ
अधिक ही। हिन्दुस्तान में
पिछली रात को उठने वाले
और रुचि एवं उल्लास के
साथ तहज्जुद की आठ या
बारह रकातें पढ़ने वाले
मिलेंगे। यह नमाज़ दो, दो
रकात करके पढ़ी जाती है
इसमें किरात लम्बी होती
है। इसकी अवधि अर्द्ध रात्रि
के बाद से सुबह सादिक
उदय होने तक है।

ज़क़ात जो इस्लाम का दूसरा
स्कंद अथवा स्तम्भ है-

ज़क़ात इस्लाम का
दूसरा महत्वपूर्ण स्तम्भ है,
और कुरआन मजीद में तीस
से अधिक स्थानों पर इसका
नमाज़ के साथ वर्णन किया
गया है इसको अनेक स्थानों
पर नमाज़ के समान इस्लाम
की पहचान और अज्ञापालन
का चिन्ह माना गया है। यह
हर समझादार, बालिग तथा
एक निश्चित एवं निर्धारित
धनराशि (निसाब') के मालिक

पर फ़र्ज़ है। निसाब उस
निश्चित मात्रा की धनराशि
को कहते हैं जिसके मौजूद
होने पर ज़क़ात फ़र्ज़ होती
है, परन्तु शर्त यह है कि वह
निश्चित मात्रा उस व्यक्ति
की मूल आवश्यकताओं से
अधिक हो। निसाब प्रत्येक
वस्तु का अगल अलग है।
सोने का निसाब साढ़े सात
तोला है, और चाँदी का साढ़े
बावन तोला अर्थात् जिसके
पास इतनी मात्रा में सोना
चाँदी हो और वह उसकी
आवश्यकता से अधिक हो
तथा पूरा वर्ष उसके रहते
हुए व्यतीत हो जाए तो उस
व्यक्ति पर उसका चालीसवाँ
भाग (ढाई प्रतिशत) खुदा
की राह में देना वाजिब है³।

1. प्रत्येक रकात में बढ़ा जाने वाला

कुरआन का भाग अधिक होता है। अनु०

2. कम से कम वह धनराशि जिसके एक

वर्ष बीत जाने पर ज़क़ात अनिवार्य हो

जाती है। अनु०

3. अनिवार्य है, यदि निर्धारित मात्रा का

दान नहीं करेगा तो वह खुदा के निकट

दण्डनीय होगा।

सोने चाँदी के अतिरिक्त व्यापार सम्बन्धी माल पर भी यदि उसका मूल्य निसाब के बराबर है, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी प्रकार भूमि की उपज पर भी ज़कात है। यदि वर्षा के पानी से उपज हुई है, या नदी के किनारे पर तराई में कोई वस्तु बोई और बिना सींचे पैदा हो गई तो ऐसे खेत में जो कुछ उपज हुई है, उसका दसवां भाग दान कर देना चाहिए और अगर खेत को पुर या रहट चला कर या किसी अन्य साधन द्वारा सींचा है, तो उपज का बीसवां भाग दान करना चाहिए। चौपायों, ऊँट, गाय, बकरी आदि की भी ज़कात है। ज़कात वर्ष में एक बार फ़र्ज़ है। ज़कात लेने के अधिकारी दीन रंक तथा निर्धन और ज़कात के प्रबन्ध के सिलसिले में काम करने वाले हैं¹।

ज़कात टैक्स या जुर्माना नहीं अपितु स्वयं एक इबादत तथा ईश्वरीय अर्थ व्यवस्था है-

ज़कात के बारे में यह स्मरण रखना चाहिए कि वह

कोई टैक्स या जुर्माना अथवा सरकारी मुतालबा मात्र नहीं है, वह नमाज़, रोज़े के समान एक मुस्तकिल इबादत है और खुदा से करीब होने का एक साधन तथा नैतिक सुधार एवं प्रशिक्षण की एक ईश्वरीय व्यवस्था है। अतः धार्मिक विद्वानों के मतानुसार इसके लिए नियत फ़र्ज़ है², यदि बिना नियत किये ज़कात अदा करेगा तो नमाज़ की भाँति ज़कात भी अदा नहीं होगी³ इसके अदा करने में भी अहंकार, अनुग्रह, गर्व एवं अभिमान की भावना लेशमात्र न होना चाहिए वनर नम्रता, विनय तथा कृतज्ञता का भाव विद्यमान होना चाहिए और अपनी अपेक्षा स्वीकार करने वाले को उपकारी समझना चाहिए। ज़कात के वास्तविक अधिकारियों की स्वयं खोज करना तथा उनका चयन एवं व्यवस्था भी वांछित है। यह भी अच्छा समझा गया है कि एक ही स्थान के मालदारों से निकाल कर वहीं के निर्धनों

में वितरित किया जाय (सिवाय इसके कि वहां उसके अधिकारी न पाय जाते हों) कुरआन मजीद में ज़कात को व्याज का (जो इस्लाम में पूर्णतया अवैध है) बिल्कुल प्रतिद्वन्दी तथा विलोम बताया गया है। और जितनी ज़कात की प्रशंसा की गई है उतनी ही व्याज की निन्दा की गई है।

1. ज़कात इस्लामी विधान तथा फ़िक़ह के उन विषयों में से है, जिनमें बारीकियों तथा विस्तृत अंशों का बाहुल्य है और इसके बारे में अति सूक्ष्मता से काम लिया गया है। हमारे सामने इस समय एक मिस्री विद्वान् (शेख यूसुफुल क़र्जावी) की वर्तमान में प्रकाशित होने वाली पुस्तक “फ़िक्हुज्ज़कात” है, जिसमें इसके मसलों को लिपि वद्ध करने का प्रयास किया गया है। यह दो ग्रन्थों में है, पूरी पुस्तक बारीक टाइप के 1131 पृष्ठों में पूरी हुई है। अतः इस संक्षिप्त पुस्तक में जो मूल रूप से गैर मुस्लिम भाइयों के लिए लिखी गई है, इसका प्रारम्भिक परिचय ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ज़कात की पूर्ण व्यवस्था तथा सार समझने के लिए हमारी रवना “अरकान अरबा” में ज़कात का अध्याय देखना चाहिए।

2. मन में इस बात का पूर्ण निश्चय कि मैं अमुक कार्य करने जा रहा हूं— नियत को पूर्ण ध्यान भी कहते सकते हैं (अनु०)

3. मौलाना बहरुल उलूम फिरंगी महली, “रसायलुल अरबान” पृष्ठ 163।

शेष पृष्ठ25..पर

तबलीगे नबवी सल्ल० उसके उसूल और उसकी कामयाबी के असबाब

(हुजूर सल्ल० के धर्म प्रसारण के नियम और उनकी सफलता के कारण)

प्रस्तुति: जमाल अहमद नदवी

—अल्लामा सैयद सुलैमान नदवी रह०

तबलीगो दावत की व्यवस्था-

आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब तक मक्का मुअज्जमा में तशरीफ फरमा रहे, स्वयं ही इस कर्तव्य को अंजाम देते रहे, एक एक के पास जाते और हक का पैगाम सुनाते, शहर से निकल कर मक्के के आस पास जाते और आने जाने वालों को बशारत सुनाते, मक्के से निकल कर ताइफ गये और वहाँ भी अपना कर्तव्य अदा किया, यह भी खुदा की मसलेहतो हिकमत थी कि उसने अपने आखिरी दीन का केन्द्र मक्का मुअज्जमा को ठहराया, जो अरब का केन्द्रीय शहर था, और हज के मौसम में तमाम क़बीले खुद यहाँ आ जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वर्षों तक हज के ज़माने में एक एक कबीले व समुदाय के पास स्वयं जाते और खुदा का दावती पैगाम पेश करते, इसी वार्षिक तबलीग और धर्म प्रसारण से

इस्लाम को वह जमाअत सिद्दीक रज़ि० थे, मक्के के हाथ आई जिसका नाम बहुत से सम्मानित घरानों के पुरजोश नौजवान उन्हीं की कोशिशों से इस्लाम के हल्का बगोश व अनुयायी हुए, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर रज़ि० अल्लाहु अजमअीन हज़रत अबू बक्र रज़ि० की कोशिशों से इस्लाम में दाखिल हुए, हज़रत अबू बक्र रज़ि० के बाद इस्लाम के दूसरे प्रचारक हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ि० हैं जिनके प्रभावी वाजों (धर्मोपदेशों) को सुन कर आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिज़रत से पहले ही मदीने के घराने के घराने तौहीद के अनुयायी हो गये थे।

मक्के में आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद आम मुसलमानों में सबसे पहले धर्म प्रचारक व दाझी हज़रत अबू बक्र

मदीना मुनव्वरा आ कर इस्लाम ने अमन व शान्ति की सांस ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्लाम के नये अनुयाइयों की शिक्षा दिक्षा के लिए जो दूर व करीब के इलाकों से

दारुल इस्लाम में आते थे, की फिक्र की, और मुल्क के विभिन्न भागों में इस्लाम की दावतों तबलीग के लिए एक जमात काइम की, जिसका नाम आमतौर से असहाबे सुफ़ा (चबूतरे वाले) मशहूर है, इसमें बाज औकात सौ से ज़ियादा आदमी दाखिल रहे हैं, यह लोग मुल्क में इस्लाम की दावत के लिए भेजे जाते रहे और खुद नौ मुस्लिमों को तालीम देते, बीरे मऊना (एक स्थान) में सत्तर के करीब जो दाईं व इस्लाम के प्रचारक रास्ते में बेदर्दाना क़त्ल हुए थे वह असहाबे सुफ़ा के सदस्यगण थे।

इनके अलावा वह अकाबिर व बुजुर्ग सहाबा रज़ि० जो कभी कभी विभिन्न देशों, बादशाहों, क़ौमों और क़बीलों में इस्लाम की दावत ले कर फैले, अहादीस और सीरत की किताबों में उनके नाम विभिन्न तौर से फैले हुए मिलते हैं, मैंने थोड़ी सी कोशिश से इस प्रकार के 35 सहाबियों के नाम जमा किये हैं जिन्होंने आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म से इस कर्तव्य को

अंजाम दिया, उनके नाम इस प्रकार हैं—

हज़रत अबू ज़र गिफारी, हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी, हज़रत जाफर तैयार, हज़रत अम्र बिन अबसा सुलमी, हज़रत ज़ियाद बिन सालबा, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत मुहाजिर बिन अबी उमय्या, हज़रत ज़ियाद बिन लबीद, हज़रत खालिद बिन सईद, हज़रत अ़दी बिन हातिम, हज़रत अला बिन हज़रमी, हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत मुआज बिन जबल, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली, हज़रत देहया कल्बी, हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी, हज़रत मुगीरा बिन शोबा, हज़रत अम्र बिन अल आस, हज़रत वब्र बिन नखीस, हज़रत उरवा बिन मसऊद स़कफी, हज़रत आमिर बिन शहर, हज़रत मुन्किद बिन हब्बान, हज़रत सुमामा बिन उसाल, हज़रत महीसा बिन मसऊद, हज़रत अहनफ, हज़रत अबू ज़ैद अंसारी, हज़रत अम्र बिन मुर्रा, हज़रत अयाश

बिन रबीआ मखजूमी, हज़रत वासिला बिन असकआ,

हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुजाफा सहमी, हज़रत हातिब बिन अबी बलतआ, हज़रत इब्ने अम्र बिन अब्दे शम्स, हज़रत शुजाआ बिन वहब असदी रज़ियल्लाहु तआला अनहुम अजमीन, इन्हीं मुबलिलगों और दाइयों और कासिदों की पुकार थी, जिसने यमन, यमामा, बहरैन, हिजाज़ और नजद, तात्पर्य पूरे अरब को जगा दिया, और अरब से बाहर ईरान, शाम, मिस्र और हब्शा हर जगह इस्लाम का पैगाम पहुंच गया।

मुबलिलगों (प्रचारकों) की शिक्षा दीक्षा-

मुबलिलगों को सबसे पहले कुर्झान पाक की सूरतें याद कराई जाती थी कुर्झान पढ़ना भी सिखाया जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रातों दिन के उपदेशों के सुनने का मौका भी उनको मिलता था, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लामी तबलीग का सबसे पहला पाठ कुर्झान और सिर्फ कुर्झान था।



आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: बाज कैन्सर के मरीज नाकाबिले बर्दाश्त (असहनीय) तकलीफ में हैं।

मुबतला होते हैं, और आखिरी वक्त में तकलीफ की वजह से तड़प तड़प कर दुन्या से चले जाते हैं, ऐसी हालत में तकलीफ कम करने के लिए डॉक्टर लोग मारफीन या Opais की गोलियाँ खिलाते हैं, यह दवाएं दर अस्ल मुनश्शीयात (मादक) में से हैं, सिहत मंद इन्सान के लिए नशा आवर होने की वजह से मना किया जाता है, सवाल यह है कि कैन्सर के मरीज की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ को कम करने और राहत पहुंचाने के लिए यह दवाएं खिलाई जा सकती हैं?

उत्तर: कैन्सर के मरीज या किसी और मरज की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ दूर करने के लिए कोई जाइज़ दवा न मिले या मिले मगर इतनी मंहगी हो

की खरीदी न जा सके तो नशा आवर दवाएं खिलाई जा सकती हैं।

प्रश्न: आज कल अलकोहल मिली नींद लाने वाली दवाएं मिलती हैं, जिन लोगों को नींद बहुत कम आती है क्या वह यह दवाएं ले सकते हैं?

उत्तर: अगर नींद लाने वाली जाइज़ दवा न मिले या मिले मगर इतनी मंहगी हो कि खरीदी न जा सके तो नींद लाने के लिए अलकोहल मिली नींद वाली गोलियाँ खाई जा सकती हैं।

प्रश्न: जिस खाने में जाइफ़ल डाला गया हो उसका खाना जाइज़ है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि जाइफ़ल में नशा होता है।

उत्तर: जाइफ़ल ज़ियादा मिक्दार में खाने से नशा होता है लिहाज़ा अगर किसी खाने में लज्जत (स्वाद) के

लिए थोड़ी मिक्दार में (जिससे नशा न हो) डाला और द्रेनों में मुर्ग वगैरह का

जाये तो उस खाने का खाना बिला कराहत जाइज़ होगा।

प्रश्न: बाज बड़ी—बड़ी कम्पनियाँ बिस्कुट और खाने की ऐसी चीजें सप्लाई करती हैं जिनमें बाज लोग कहते हैं कि सुअर और मुरदा जानवरों की चरबी होती है, क्या उन चीजों का खाना जाइज़ है?

उत्तर: जब तक यह तहकीक (पुष्टि) न हो कि उन चीज़ों में हराम, नापाक चीज़ें या मुरदार चीज़ है उस वक्त तक उनका खाना जाइज़ है,

अगर किसी को उसकी तहकीक हो जाये तो वह इस्तेमाल न करे, और दूसरों को भी अपनी तहकीक से आगाह करके उनको भी हराम खाने से बचाए।

तहकीक न होने पर भी शक वाली चीज़ों से बचना बेहतर है।

प्रश्न: आज कल होटलों

गोश्त मिलता है जबकि उनके बारे में कोई तहकीक़ नहीं होती कि यह जानवर इस्लामी तरीके पर ज़ब्ब हुए हैं, क्या उनका खाना जाइज़ है?

उत्तर: जब तक यकीन से मालूम न हो कि मुर्ग वगैरह इस्लामी तरीके पर ज़ब्ब करके गोश्त पकाया गया है उनका खाना जाइज़ नहीं।

प्रश्न: आज कल मगरिबी तहजीब (पश्चिमी सम्यता) ने जहाँ बहुत सी चीज़ों को रवाज दिया है, उनमें एक बहुत ही बेशर्मी की बात का रवाज यह है कि भियाँ बीवी के मादह और बैजा (बीर्य तथा बीर्य अण्ड) को मिला कर किसी दूसरी औरत के रहिम (गर्भाशय) में बच्चा बनने और बढ़ने के लिए डाल दिया जाता है, उसके लिए किराये पर औरतें तैयार हो जाती हैं, हमारे हिन्दोस्तान में तेजी से इसका रवाज बढ़ता जा रहा है, क्या किसी औरत के लिए अपने रहिम का इस्तेमाल

बतौरे किराया देना दुरुस्त होगा?

उत्तर: किसी अजनबी मर्द (पति के अतिरिक्त) व औरत के मखलूत मादा (बीर्य) को किसी अजनबी औरत (पत्नी के अतिरिक्त) के लिए अपने रहिम में रखना चाहे किराये पर हो या आरियतन (मंगनी) हरगिज़ जाइज़ नहीं है, इसमें बेहयाई के साथ जिना (व्यथिचार) का गुनाह और नसब (वंश) का खराब करना भी पाया जाता है यह दोनों काम हराम हैं, और हदीस में इससे खुले तौर पर रोका गया है इसलिए इससे बचना बाजिब है। (देखिये सुन्ने अबी दाऊद: 293 / 1)

प्रश्न: मौजूदा मगरिबी तहजीब (पाश्चात्य सम्यता) में ऐसे बैंक काइम हैं जिनमें मर्दों की स्वस्थ मनी (बीर्य) और औरतों का स्वस्थ बैजे (बीर्य अण्ड) रखे जाते हैं और जिन मर्दों की मनी में बच्चा पैदा करने वाले जरसूमे (कीटाणु) नहीं होते या जिन औरतों की मनी में

बच्चा पैदा करने वाले बैजे (अण्ड) नहीं होते उनके लिए कारगर जरसूमे और कारगर बैजे फराहम (उपलब्ध) कराये जाते हैं, सवाल यह है कि किसी मर्द या औरत के लिए ऐसे बैंकों में अपनी मनी या बैजा कीमत लेकर या हदीये के तौर पर देना जाइज़ है?

उत्तर: ऐसे बैंकों से किसी तरह का तअल्लूक (सम्बन्ध) जाइज़ नहीं चाहे मर्द अपनी मनी और औरत अपना बैजा दाम लेकर दे चाहे हदीये के तौर पर दे दोनों तरह यह हराम काम होगा हदीस में है कि “किसी ऐसे इन्सान के लिए जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो, जाइज़ नहीं है कि वह अपने पानी (अर्थात् मनी) से दूसरे की खेती सैराब करे” अर्थात् गैर बीवी, पत्नी के अतिरिक्त में डाले।

(सुन्ने अबी दाऊद: 293 / 1)

प्रश्न: एक साहब रेलवे में मुलाजिम थे, प्राविडेण्ट फण्ड में जो पैसे थे, उसमें अपनी

बीवी का नाम लिख दिया था इसलिए कि सरकारी कानून यह है कि तन्खाह का जो हिस्सा प्राविडेन्ट फण्ड में जमा होता है दौराने मुलाजमत इन्तिकाल की सूरत में उस शख्स को मिलता है जिसका नाम मुलाजिम लिख दे, उस मुलाजिम का दौराने मुलाजमत में ही इन्तिकाल हो गया, मृतक की बीवी कह रही है कि इस रकम की मैं तन्हा हकदार हूँ उनके लड़के कहते हैं कि यह रकम हम सब भाई बहनों वरसा की है, शरीअत का क्या हुक्म है? रहनुमाई करें।

उत्तर: प्राविडेन्ट फण्ड चूंकि मरहूम की तन्खाह का एक हिस्सा है इसलिए यह रकम माले मतरुका में शामिल होगी और तमाम वरसा के बीच तक्सीम होगी, सिर्फ नामजद बीवी की नहीं होगी। औलाद की मौजूदगी में बीवी को आठवाँ हिस्सा मिलेगा बाकी में हर लड़की को एक एक हिस्सा और

लड़कों को दो दो हिस्से मिलेंगे। (दुर्लल मुख्तार मये रहुल मुहतार 511 / 6)

प्रश्न: जो लोग फ़साद में शहीद हो जाते हैं और हुक्मत की तरफ से खून का बदला मिलता है इस बदले की रकम में किस का हक होगा? क्या सिर्फ बीवी का हक होगा? या दूसरे वरसा का भी?

उत्तर: अगर हुक्मत की तरफ से किसी को मुतअय्यन करके यह रकम नहीं दी गई है तो यह रकम शहीद होने वाले के वरसा के बीच शरीअत के मुताबिक तक्सीम होगी। (दुर्लल मुख्तार मये रहुल मुहतार 511 / 6)

प्रश्न: दो भाई और वालिदैन का मुशतरका खान्दान था, उस वक्त एक भाई ने एक जमीन खरीदी और अपने नाम रजिस्ट्री कराली, अब वालिद का इन्तिकाल हो गया है दूसरा भाई उस खरीदी हुई जमीन में अपना हिस्सा मांग रहा है क्या शरीअत में दूसरे भाई का हक होगा?

उत्तर: अगर मुशतरका आमदनी से जमीन नहीं खरीदी गई थी बल्कि एक भाई ने अपने लिए अपने पैसों से खरीदी थी तो जमीन खरीदने वाले की है, दूसरे भाई का इसमें हिस्सा नहीं होगा, और अगर मुशतरका आमदनी से जमीन खरीदी गई थी तो शरीक भाई की जितनी रकम ली है उतनी रकम खरीदने वाले के जिसे वाजिब है जिसका अदा करना ज़रूरी है।

(फ़तावा हिन्दिया 346 / 2)

प्रश्न: वालिदैन जब बीमार थे तो एक लड़के ने बीमारी में इलाज में काफी रूपये खर्च किये और हर तरह से वालिदैन की खिदमत की लड़के ने यह सोच कर इलाज पर खर्च किया कि बाद में वह अपनी खर्च की हुई रकम जायदाद से वसूल लेगा, अब वालिदैन का इन्तिकाल हो चुका है, सवाल यह है कि इलाज में जो खर्च हुआ है क्या माले मतरुका में से वह लड़का ले सकता है?

उत्तरः अगर वालिदैन की इजाजत के बिना एक लड़के ने अपनी मरजी से इलाज में खर्च किया है तो यह हुक्म हुस्ने सुलूक में शुमार किया जाएगा और माले मतरुका में से लेने का हक नहीं होगा हाँ अगर वालिदैन ने खर्च करने की इस सराहत के साथ इजाजत दी थी कि मेरी जायदाद में से वह खर्च वसूल लेना, तो ऐसी सूरत में अपना खर्च ले लेने का हक हासिल होगा।

(अलबहरुर्राइकः 201 / 4)

प्रश्नः एक शख्स ने बीवी की जिन्दगी में महर अदा नहीं किया बीवी का इन्तिकाल हो गया है, अब वह महर अदा करना चाहता है क्या वह बीवी की तरफ से पूरा महर किसी मदरसे में देदे या मस्जिद बना दे, या फकीरों में तक्सीम कर दे या क्या करे?

उत्तरः यह महर अब मरहूमा के माले मतरुका में शामिल हो कर तमाम वरसा में तक्सीम होगा, अगर शौहर

मौजूद है तो शौहर भी एक चौथाई का हकदार होगा, बकीया माल औलाद में तक्सीम होगा, अगर औलाद नहीं है तो शौहर आधे का हकदार होगा, बकीया वरसा में तक्सीम होगा।

(मजमउल अन्हार 500 / 4)

प्रश्नः हराम कारोबार के मालिक के मर जाने के बाद उसका माल वारिसीन के लिए हलाल होगा या नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हलाल होगा, क्योंकि मिल्क बदल जाने से हुक्म बदल

जाता है अस्ल क्या है?

उत्तरः जिस शख्स ने हराम कारोबार करके हराम माल जमा किया है और उसका इन्तिकाल हो गया और वरसा को मालूम है कि यह माल हराम है तो यह वरसा के लिए हलाल नहीं होगा, मिल्क बदल जाने का यहां काइदा

जारी नहीं होगा क्योंकि मोरिस खुद ही उस माल का मालिक नहीं था तो उसके वारिसीन कैसे मालिक होंगे।

(रहुल मुहतार 130 / 4)

प्रश्नः एक मुसलमान औरत का ऐसी जगह इन्तिकाल हुआ जहाँ मर्दों के सिवा कोई औरत नहीं है जो उसे गुस्ल दे सके अलबत्ता उसका सगा भाई मर्दों में मौजूद है, उसके गुस्ल का क्या हुक्म है?

उत्तरः भाई मर्यादा को तयम्मुम कराएगा गुस्ल न दिया जाएगा अगर मर्दों में कोई महरम न हो तो ना महरम हाथ में दस्ताना पहन कर तयम्मुम कराएगा। गुस्ल मुआफ रहेगा।

प्रश्नः अगर मुसलमान औरत ऐसी जगह इन्तिकाल करे जहाँ मर्दों के सिवा कोई औरत न हो जो उसको गुस्ल दे सके, मर्यादा को आखिर वक्त में पाखाना भी हो गया था जो उसके बदन पर लगा हुआ है ऐसी सूरत में उसके गुस्ल का क्या हुक्म है?

उत्तरः ऐसी सूरत में अगर गैर मुस्लिम औरत मिल सके तो उससे नजासत दूर करा दें, अगर यह न हो सके और कोई नाबालिग बच्चा मिल

सके तो उससे नजासत दूर करवा दें, अगर यह भी न हो सके तो बदन की नजासत मिट्टी के ढेलों या चीथड़ों से या पानी से इस तरह दूर करें कि पाखाना पेशाब के मकाम पर हाथ न लगे, और पाखाने के मकाम की नजासत छोड़दें, महरम भी पाखाने के मकाम पर हाथ न लगाएगा, फिर महरम मर्द मय्यत को तयम्मुम करा दे, ना महरम दस्ताना पहन कर तयम्मुम कराए।

(बहरुर्राइक 2:305 आदि)

प्रश्ना: ईट की कच्ची या पक्की दीवार पर हाथ मार कर तयम्मुम किया जा सकता है या नहीं? पक्की दीवार पर अगर सीमेंट का प्लास्टर हो और प्लास्टर पर सफेद सीमेंट या चूने की कलई हो तो उस पर हाथ मार कर तयम्मुम दुरुस्त होगा या नहीं, अगर दीवार पर रोगनी पालिश (ऑएल पेन्ट) हो तो उस पर हाथ मार कर तयम्मुम किया जा सकता है या नहीं?

उत्तर: कच्ची पक्की दीवार पर हाथ मार कर तयम्मुम

करना जाइज़ है। सीमेंट के प्लास्टर और सफेद सीमेंट की या चूने की कलई वाली दीवार पर भी हाथ मार कर तयम्मुम जाइज़ है, अलबत्ता ऑएल पेन्ट वाली दीवार पर अगर गर्द चढ़ी हो तो तयम्मुम दुरुस्त हो सकता है, गर्द न हो तो आएल पेन्ट वाली दीवार पर तयम्मुम दुरुस्त न होगा।

❖❖❖

**हिन्दुस्तानी मुसलमान.....
सामाज्य दान पुण्य एवं खैरात-**

यह भी बताया गया है कि ज़कात अदा करने के बाद भी जिससे धनी (निसाब वाला) अपने कर्तव्य से निवृत्त तथा भारमुक्त हो जाता है, धन में निर्धनों एवं दीन, दरिद्रों का हक् तथा अन्य दान पुण्य में उनका भाग है।

(माल में ज़कात के अतिरिक्त भी निर्धनों का अधिकार है)

इससे दान का आरम्भ होता है, अन्त नहीं होता। इस्लाम ने ज़कात लेने वालों तथा दान लेने वालों के लिए विशिष्ट एवं विरस्थायी वर्ग को मान्यता नहीं दी है, जिसका आधार किसी वंश,

जाति तथा व्यवसाय पर हो, वरन् उसने पैग़म्बर— ए—इस्लाम के खानदान बनी हाशिम को सदैव के लिए ज़कात तथा खैरात से वंचित कर दिया। इस प्रकार मुसलमानों में धार्मिक तथा विशिष्ट वर्ग सम्बन्धी ठेकेदारी (Class Exploitation) के लिए लेश मात्र स्थान नहीं।

रोज़ा इस्लाम का तीसरा रूक्न (स्तम्भ) है जो हर समझदार तथा बालिङ् मुसलमान पर फ़र्ज़ है-

रोज़ा इस्लाम का तीसरा रूक्न है और वह भी समझदार बालिङ् मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हाँ यदि वह रोज़े के ज़माने में बीमार अथवा यात्रा कर रहा है, तो वह उस समय रोज़ा छोड़ सकता है, परन्तु उसको दूसरे समय क़ज़ा करना पड़ेगा। खुदा ने रोज़े के लिए “रमज़ान” (इस्लामी कलैण्डर का नवां महीना) के पवित्र मास का चयन किया है, जिसको कुरआन मजीद से विशिष्ट अनुकूलता है और विशेष अनुकम्पा तथा सम्पन्नता का महीना है। □□

पर्यावरण की सुरक्षा

हमारी धरती के चारों ओर वायु की एक मोटी परत है। उसे वायुमंडल या वातावरण कहते हैं। सारे जीव-जन्तु और पेड़-पौधे इसी वायुमंडल में जीवित रहते हैं। अल्लाह ने जीवन के सभी साधन वातावरण से जोड़ दिए हैं। हवा, पानी, धरती, जीव-जन्तु, पेड़-पौधे इत्यादि हमारे जीवन के साधन हैं। इन साधनों में परस्पर गहरा सम्बन्ध है। इनसे वातावरण में संतुलन बना हुआ है। यह संतुलन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है।

इनमें से कोई चीज़ हमारे लिए बेकार नहीं है। इनमें प्रत्येक चीज़ के बीच है।

परस्पर अन्योन्यामित संबंध है। इनके इस संबंध को अगर क्षति पहुंचाई जाती है या इनमें से किसी को नष्ट कर दिया जाता है तो सारा संतुलन बिगड़ जाता है। केवल मनुष्य नहीं, पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े तथा वनस्पति के जीवन के लिए भी संकट

उत्पन्न हो जाता है। धरती के आस-पास उपस्थित सारे प्राकृतिक साधनों को पर्यावरण कहा जाता है। उसकी सुरक्षा करना जीव-जन्तुओं की अस्तित्व-रक्षा के लिए अनिवार्य है।

मानव अपना स्वार्थ साधने के लिए विभिन्न प्रकार से पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ता है और पर्यावरण को प्रदूषित या क्षतिग्रस्त करके अपने जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर लेता है। यह उसके अपने हाथों की कमाई

को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि लोग अपने घरों के आसपास कूड़ा-कचरा डाल देते हैं। फलों के छिलके, सब्ज़ी के डंठल और उपयोग में न आने वाले अन्य पदार्थों के सड़ जाने के कारण उनमें दुर्गंध पैदा होती है और कीड़े पड़ जाते हैं। उन पर मकिख्यां बैठती हैं। वही मकिख्यां हमारे घरों में आती हैं। उनके साथ रोगाणु हमारे घरों और भोजन की वस्तुओं तक पहुंच जाते हैं।

इससे तरह-तरह के रोग फैलते हैं। दुर्गंध से हवा प्रदूषित होती है। उसी प्रदूषित हवा को हम सांस के द्वारा अपने शरीर के अन्दर ले जाते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हम नालियों में गन्दगी बहा देते हैं जो प्रायः खुले होते हैं। कुछ लोग उसी में मल-मूत्र भी डाल देते हैं। हम इससे भी हमारे पास-पड़ोस में गन्दगी फैलती है।

कूड़ा—कचरा फेंकने और जन्तुओं तथा वनस्पतियों के समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां सरकार की ओर से कूड़ेदान, पक्की नालियां और सफाई की व्यवस्था नहीं है, वहां स्थानीय निवासियों को पारस्परिक सहयोग से इन चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। जनसाधारण को भी सफाई का प्रशिक्षण दे कर उनको जागरूक बनाना चाहिए, ताकि वे अपनी असावधानी से गन्दगी न फैलाएं।

कल कारखाने, मोटर गाड़ियां, रेल गाड़ियां, हवाई जहाज़ इत्यादि के धुएं और उनकी आवाज़ों से भी प्रदूषण फैलता है। उनसे निकलने वाली आवाज़ों से वायु में तीव्र कम्पन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार लाउड स्पीकर और तरह—तरह के बाजे, ढोल—धमाके, पटाखे इत्यादि से भी वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। धुएं और रासायनिक ईंधनों से उत्पन्न विषैली गैसें हवा को दूषित करती हैं। ये सारी चीज़े मनुष्यों, अन्य जीव-

जन्तुओं तथा वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक होती हैं। इसके कारण अनेक प्रकार के जीव—जन्तुओं की नस्लें समाप्त होने के कारण पर हैं और कोमल पेड़—पौधे कुम्हला रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वास रोग, हृदय रोग, दृष्टिहीनता इत्यादी होते हैं।

कल—कारखानों के रासायनिक कचरों को नालियों द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है। इससे नदियों का जल विषाक्त हो जाता है। वह मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं रहता। मछलियां और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। विषाक्त जल पेड़—पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। अतः कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करने और उनसे उत्पन्न कचरों को नदियों के बजाय दूसरी जगह डालने का उपाय किया जाना चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, मनुष्य में फैलने वाले 90 प्रतिशत रोगों का कारण जल प्रदूषण

ही होता है। पेट की बीमारियां, रक्तचाप, चर्मरोग, आँख, गले और छाती के अधिकतर रोग प्रदूषित जल के कारण ही होते हैं।

जंगलों का क्षेत्र दिन—प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि कृषि भूमि, गृह निर्माण और ईंधन के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं।

इस कारण वायु में कार्बन डाईआक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का अनुपात बढ़ रहा है। धूप और गरमी में वृद्धि तथा वर्षा में कमी हो रही है। जंगली जानवरों की अनेक प्रजातियों का विनाश हो रहा है। इससे धरती के सारे जीव—जन्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। धरती की उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है। उपजाऊ भूमि के बंजर और रेगिस्तान बन जाने का खतरा बढ़ गया है। फलतः वातावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है।

अतः नये जंगल आबाद करने तथा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़—पौधे लगाए जाने चाहिए। वृक्षारोपण अभियान में हम

सबको शामिल होना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि वृक्षारोपण के प्रति हम जागरूक हो गए हैं। हर वर्ष सामाजिक संस्थाओं और सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। हमें भी आगे बढ़ कर उसमें भाग लेना चाहिए। जीव जन्तुओं की नस्लों की सुरक्षा के भी उपाय किए जा रहे हैं। धनवानों की विलासितापूर्ण जिन्दगी भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। वातानुकूलित कमरों और होटलों की अनावश्यक वृद्धि से जल—संपदा में कमी होती है। तथा ट्यूबवेलों से अत्यधिक पानी निकालने के कारण धरती के अन्दर पानी की सतह नीची हो रही है। कुएं सूख रहे हैं। मनुष्य और पशुओं के लिए जल आपूर्ति की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है।

विकसित देशों ने अपने आणविक परीक्षणों और आयुधों की तैयारी के कार्यक्रम से महासागरों और

वायुमंडलीय ओज़ोन परतों को विषैली किरणों के रिसाव के कारण वर्षा का जल दूषित हो रहा है और धरती के जीव जन्तु और मिट्टी तथा वनस्पतियां रुग्ण और मृतप्राय हो रही हैं। विश्व के वैज्ञानिकों की चीख पुकार के बावजूद इस प्रणाघाती आपदा को टालने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। महाशक्तियां अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार अपनी परमाणु शक्तियों में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रही हैं। इससे आणविक ताप के विकिरण में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अपांग शिशुओं के जन्म में वृद्धि आदि इसी के दुष्परिणाम हैं।

जब तक मानव के अन्दर अपने रब के प्रति उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक मनुष्य अपने स्वार्थ और हानिकारक क्रिया कलापों का त्याग नहीं कर सकता। बाहरी उपायों के साथ—साथ मानव के मन की

भावना को बदलने की भी आवश्यकता है।

विश्व के साधनों का मालिक मनुष्य नहीं बल्कि अल्लाह है। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य स्वयं को मालिक समझ कर अपनी इच्छा से बिना रोक टोक उसका दुरुपयोग करता है। इससे प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होता है और विभिन्न प्रकार की विकृतियां फैलती हैं। अल्लाह की बनाई सँवारी हुई इस दुनिया को इन्सान अपने हाथों से बिगाड़ रहा है। दुनिया का मालिक इसे पसन्द नहीं करता है कि उसकी दुनिया में फ़साद और बिगाड़ फैले।

अतः प्रकृति में गड़बड़ी पैदा करने और प्राकृतिक साधनों का अनुचित उपयोग करने से आखिरी पैग़म्बर और मानव—जाति के शुभचिन्तक हज़रत मुहम्मद सल्लू ने लोगों को रोका है। साधनों को सुरक्षित रखने, उनके विकास में योगदान देने और उनसे सबको लाभ पहुंचाने की शिक्षा दी है। ऐसा करने

पर हम उन संपदाओं से स्वयं भी लाभ उठाएँगे और दूसरों को भी लाभ उठाने का अवसर देंगे, क्योंकि रब की पैदा की हुई हर चीज़ पर सबका समान अधिकार है। सिर्फ़ अपने हित के लिए हम दूसरों का अधिकार नहीं छीनेंगे। जब यह भावना मनुष्य में पैदा होगी तभी दुनिया में सुख चैन की स्थापना हो सकती है, पर्यावरण में फैल रहे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है।

आज पर्यावरण का मुख्य कारण न सिर्फ़ अशिक्षा और अज्ञानता है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी है।

हमारी पोथी भाग 6 से ग्रहीत, प्रस्तुत कर्ता: एक छात्रा



कुर्अन की शिक्षा.....

का सवाब जाता रहता है या औरों को दिखा कर इस लिए सदक़ा देता है कि लोग दानवीर जानें, इस प्रकार की भी खैरात का सवाब भी कुछ नहीं होता, इसके अलावा ये फरमाना कि वह यकीन नहीं

रखता है अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर, सदके को करने की शर्तें नहीं हैं क्योंकि सदक़ा तो सिर्फ़ दिखावे से ही बर्बाद हो सकता है अगरचि खर्च करने वाला मोमिन ही क्यों न हो, मगर इस शर्त को सिर्फ़ इस फायदे के मक़सद से बढ़ाया है कि यह मालूम हो जाये कि रियाकारी व दिखावा मोमिन की शान से दूर है बल्कि यह बात मुनाफ़िकीन के मुनासिबे हाल है।

4. ऊपर मिसाल बयान फरमाई थी खैरात की कि ऐसी है जैसे एक दाना बोया और इससे सात सौ दाने पैदा हो गये अब फरमाते हैं कि नीयत शर्त है अगर किसी ने रिया व दिखावे की नीयत से सदक़ा किया तो उसकी मिसाल ऐसी समझो कि किसी ने दाना बोया ऐसे पत्थर पर कि जिस पर थोड़ी सी मिट्टी नज़र आती थी जब बारिश हुई तो बिल्कुल साफ़ रह गया अब उस पर दाना क्या उगेगा, ऐसे ही सदक़ात में रियाकारों व दिखावा करने

वालों को क्या सवाब मिलेगा।

5. ज़ोर की बारिश से मुराद बहुत माल खर्च करना, और फुवार से मुराद थोड़ा माल खर्च करना और दिलों को साबित करने से मुराद यह है कि साबित करें दिलों को सवाब पाने में यानी उनको यकीन है कि खैरात का सवाब ज़रूर मिलेगा सो अगर नीयत दुरुस्त है तो बहुत खर्च करने में बहुत सवाब मिलेगा और थोड़ी खैरात में भी फायदा होगा जैसे खालिस जमीन पर बाग है तो जितनी बारिश बरसेगी उतना ही बाग को फायदा पहुंचेगा और नीयत दुरुस्त नहीं तो जिस क़द्र ज़ियादा खर्च करे उतना ही बर्बाद होगा और नुक़सान पहुंचेगा क्योंकि माल ज़ियादा देने में रिया और दिखावा भी ज़ियादा होगा जैसे पत्थर पर दाना उगेगा तो जितनी ज़ोर की बारिश होगी उतना ही ज़रूर ज़ियादा होगा।



-प्रस्तुति-

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

सच्चा राही अप्रैल 2015

इस्लाम में महिलाओं के अधिकार

किसी भी समाज में, देश में, प्रदेश में दफ़तर में यानी कि हर मुक़ाम पर किसी एक को मुखिया, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री हाकिम या नाज़िम बनाया ही जाता है। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी एक को अपना लीडर बनाना बेहद ज़रूरी है और फिर उस लीडर की बातों को मानना उसके हुक्मों पर अमल करना प्रत्येक व्यक्ति और सदस्य के लिए अनिवार्य होता है।

इस हक़्कीक़त को समझ लेने के बाद यह समझना कुछ कठिन नहीं कि प्रत्येक परिवार या खानदान में भी किसी एक सदस्य को मुखिया या मुहाफ़िज़ का दर्जा हासिल होना चाहिए। यह एक बहुत ही अहम मौजूदा (विषय) है क्योंकि परिवार ही समाज की इकाई होता है। अगर खानदान खुशहाल, मुहऱ्ज़ब (सभ्य) और मुतम्हिन (सन्तुष्ट) होगा तो समाज भी सभ्य और सन्तुष्ट बनेगा।

इसीलिए दुनिया के हर घर और खानदान के लिए इंसानों को पैदा करने वाले मालिक व ख़ालिक (सृष्टा) ने खुद ही यह निश्चित कर दिया कि परिवार का मुखिया, अधिकारी और संरक्षक पुरुष होगा। कुरआन पाक में सूरः निसा में फरमाया गया है “अर रिजालु क़व्वामून अलन् निसाइ” (4:34) यानी पुरुष संरक्षक (मुहाफ़िज़) है स्त्रियों पर। अरबी शब्द ‘क़व्वाम’ का अर्थ संरक्षक, सरपरस्त, हाकिम होता है। “हाकिम” अर्थ को लेकर दुनिया के इस्लाम विरोधी लोगों ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया है, उनके अखित्यारात को सल्ब (शोषण) किया गया है। इस्लाम औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक़ नहीं देता, इस्लाम स्त्रियों को गुलाम बना कर धार की चहारदीवारी में क़ैद रखने का हुक्म देता है।

—इं० जावेद इक़बाल जबकि हक़्कीकत यह है कि इस्लाम ने औरतों को इंसाफ़ की बुन्याद पर जो बराबरी के अधिकार दिये हैं उनकी कल्पना (तसव्वुर) भी वे लोग नहीं कर सकते जो ग़लतफ़हमियां फैला कर अपने समाज के भोले भाले लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।

कुरआन कहता है “महिलाओं को भी वैसे ही अधिकार हैं जैसे पुरुषों के स्त्रियों पर, नियमानुसार, बस मर्दों का उन के मुक़ाबले एक दर्जा बढ़ा हुआ है” (सूरः 2 आयत 288)

मर्दों का बढ़ा हुआ यह एक दर्जा केवल इसलिए है कि किसी एक को तो संरक्षक और सरपरस्त होना ही था। ज़ाहिर है कि संरक्षक और सरपरस्त होने के लिए जिस ताक़त कुदरत और क्षमता व सलाहियत की ज़रूरत है वह मर्द में ही पाई जाती है।

कुरआन के शब्द “क़व्वाम” का अर्थ हाकिम को लेकर ग़लत फ़हमियां

फैलाने वाले शायद यह नहीं जानते कि हाकिम या अधिकारी का मतलब और उसका तस्वीर (कल्पना) इस्लाम में क्या है? इस बात को समझने के लिए इस्लाम की तालीमात को दुनिया में नए सिरे से परिचित कराने वाले खुदा के आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा था कि औरतों को पस्ती की हड्डी जैसा समझो अगर उसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ बैठोगे और अगर उससे काम लेना चाहोगे तो टेढ़ी रहते हुए भी काम देगी। इस मिसाल में कितने सहज ढंग से यह समझाने की कोशिश की गई है कि महिलाओं का महत्व खुद तुम्हारे जिस्म के हिस्सों की तरह है अतः उससे अच्छा सुलूक करना चाहिए, उसकी देख भाल खुद अपने जिस्म की तरह करनी चाहिए।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का व्यवहार घर के भीतर कैसा था? इस सवाल के जवाब में हमारी सब की माँ समान अल्लाह के रसूल की पत्नी हज़रत आयशा रज़िया ने फ़रमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम घर में एक आम आदमी की तरह रहते थे, घर के कामों में मदद करते थे, चूल्हा जला दिया करते थे, अपने कपड़े धो लेते थे, जूता टूट जाता तो खुद ठीक कर लेते थे” महिलाओं के साथ

अच्छा सुलूक करने की नसीहत करते हुए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा था कि औरतों को पस्ती की हड्डी जैसा समझो अगर उसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ बैठोगे और अगर उससे काम लेना चाहोगे तो टेढ़ी रहते हुए भी काम देगी। इस मिसाल में कितने सहज ढंग से यह समझाने की कोशिश की गई है कि महिलाओं का महत्व खुद तुम्हारे जिस्म के हिस्सों की तरह है अतः उससे अच्छा सुलूक करना चाहिए, उसकी देख भाल खुद अपने जिस्म की तरह करनी चाहिए।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ रहने वाले और उनसे ज़िन्दगी गुज़ारने के तौर तरीकों, आदर्शों को सीखने वाले लोगों का हाल यह था कि जब हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़िया ख़लीफ़ा बनाए गए तो दूसरे ही दिन सुब्ह सवेरे अपने कारोबार पर मामूल के मुताबिक़

कपड़ों की गठरी उठा कर चल दिये। हज़रत उमर रज़िया ने देखा तो पूछा किधर चले? उत्तर दिया अपने काम पर, आखिर बच्चे क्या खायेंगे? हज़रत उमर ने रोका और कहा ख़लीफ़ा का काम जनता के हितों की रक्षा करना और अवाम की फ़लाह के काम करना है, इसके बदले आपको बैतुल माल से वज़ीफ़ा मिलेगा। हज़रत अबू बक्र रज़िया ने हज़रत उमर रज़िया की बात तो मान ली मगर बैतुलमाल से केवल उतना ही वज़ीफ़ा स्वीकार किया कि दो बक्त का खाना खाया जा सके, एक बार पत्नी ने कुछ मीठा पका लिया तो फौरन पूछा इसके पैसे कहां से आये? जवाब मिला रोज़ के खर्च से थोड़ा—थोड़ा बचा कर यह मीठा बनाया है। हज़रत अबू बक्र रज़िया ने कहा अच्छा तो इसका मतलब यह है कि मैं बैतुलमाल से इतनी धनराशि ज़्यादा ले रहा हूँ। और फिर उन्होंने अपना वज़ीफ़ा कम कर दिया।

हज़रत उमर रज़िया

अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में जब बैतुल मक्किदस पहुंचे तो इस हाल में थे कि सवारी के जानवर की नकेल उनके हाथ में थी वह पैदल चल रहे थे और उनका गुलाम (सेवक) सवारी पर बैठा था कपड़े भी साधारण थे। सवारी का जानवर क्योंकि एक था और मदीना से चलते वक्त तय पाया था कि बारी बारी से सवारी पर बैठा जाएगा। बैतुल मक्किदस पहुंचने के समय बारी गुलाम के बैठने की थी उसने ख़लीफ़ा हज़रत उमर रज़िया से इस मौके पर सवारी पर बैठने को कहा मगर हज़रत उमर को सेवक के अधिकार छीनना गवारा न हुआ। नतीजा यह हुआ कि शहर की ईसाई जनता ने जो मंज़र देखा वह उनको हैरत में डालने वाला था। ख़लीफ़ा पैदल चल रहा था, गुलाम सवारी पर बैठा था, लिबास में भी कोई शाहाना फ़र्क न था। यह था इस्लामी राज्य के मुखिया का इंसाफ़। उन्होंने देखते ही शहर के बंद दरवाजे ख़लीफ़ा हज़रत उमर रज़िया

के लिए खोल दिये और पादरियों के इशारे पर हाकिमों ने शहर की चाबियाँ उन्हें सौंप दीं। क्योंकि उनकी मज़हबी किताबों में अरब के रहने वाले एक ऐसे ही आदमी के ज़रिये बैतुल मक्किदस को फ़तह करने की पेशीनगोइयाँ मौजूद थीं।

इन घटनाओं की रोशनी में साफ़ समझा जा सकता है कि इस्लाम में “हाकिम” या अधिकारी का क्या तसव्वुर (कल्पना) और मतलब है। लेकिन दुनिया की वह कौमें जिन्होंने बादशाहों के जुल्म देखे हैं, और हाकिमों का गुस्सा सहा है उन्हें इस्लाम में हाकिम के मानी (अर्थ) का इल्म नहीं। लिहाजा समझाने और समझाने की ज़रूरत है कि कुरआन जब मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाता है तो उसका मतलब होता है संरक्षक, निगहबान, औरतों के हितों की हिफ़ाज़त करने वाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला। इसके साथ ही यह भी हकीकत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

ने हर औरत को अपने घर के भीतर की व्यवस्था चलाने में और औलाद का पालन पोषण करने के मामले में हाकिम करार दिया है।

जो लोग इस्लाम पर महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का इल्ज़ाम लगाते हैं और मर्दों के बराबर दर्जा न दिये जाने का रोना रो कर औरतों से हमदर्दी जताते हैं वह हकीकत में औरतों को इस्लाम से बदज़न करने और उन पर जुल्म के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं।

अगर कोई व्यक्ति खुद को बड़ा इंसाफ़ पसंद ज़ाहिर करते हुए सबके साथ बराबरी का सुलूक करने का दावा करे और फ़ख़ (गर्व) के साथ कहे कि मैं अपनी बकरी और भैंस को बराबर चारा देता हूँ तो यह हकीकत में इंसाफ़ नहीं भैंस के साथ नाइंसाफ़ी होगी।

इसी तरह कोई शख़स अपना खेत जोतने के लिए भैंस और भैंसे दोनों को लगा दे तो इसे भी भैंस के

साथ नाइंसाफ़ी और मूर्खता का नाम दिया जायेगा। साफ़ ज़ाहिर है कि शक्ति, क्षमता और योग्यता के अनुसार काम करने से फ़ायदा हासिल किया, जा सकता है, नहीं तो देर सवेर नुक़सान उठाना लाज़मी है।

इस्लाम मुकम्मल इज्ज़त व एहतराम के साथ महिलाओं के घर खानदान के अन्दर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का हक़ देता है, जिसमें सब से अहम काम बच्चों की देख भाल और घर का इंतज़ाम दुरुस्त रखना है। इस्लाम औरतों पर रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने की ज़िम्मेदारी नहीं डालता। खाने कपड़े और मकान का इंतज़ाम करना मर्द की ज़िम्मेदारी है। मर्द चाहे नौकरी करे मज़दूरी करे या कोई कारोबार करे, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम इस्लाम उसी के ज़िम्मे डालता है। महिलाओं का काम मर्द के ज़रिये कमाई गई रक़म से सब व सुकून के साथ घर के अन्दर का इंतज़ाम देखना है

मौजूदा ज़माने में मगरिबी मुल्कों के गुमराह करने वाले प्रोपेगण्डों और आसूदगी फ़राहम करने वाली नई नई मशीनों और उनके बदलते हुए नए नए माडलों को हासिल करने की चाहत ने इंसान के दिल से सन्तोष और किनाअत के जज्बे को बिल्कुल निकाल दिया है, वह हर नई चीज़ को ख़रीद कर घर लाना चाहता है मगर अपनी अकेले की आमदनी से यह मुमकिन नहीं है। लिहाज़ा आज का इंसान इस गुमराहकुन प्रोपेगण्डे में आसानी से फ़ंस जाता है और घर के खर्च पूरे न होने का दुखड़ा रो कर पत्नी को नौकरी करने पर उकसाता है जब कि हकीक़त यह है कि ज़िन्दगी में सादगी, सलीक़ा और सन्तोष न होने की वजह से खर्चे पूरे नहीं होते, सब मिल कर कमाते हैं मगर हालात बिगड़ते ही जाते हैं। यहीं वजह है कि समाज में रिश्वत घोटाले और कमीशन वगैरा

की जड़ें मज़बूत हो रही हैं। महिलाओं के जज़बात उनकी ताक़त, उनकी सलाहियत, उनकी जिस्मानी बनावट आदि खुदा ने मर्दों से मुख्तालिफ़ और कोमल रखी है। बच्चों की परवरिश जिस प्रेम और बलिदान की भावना से स्त्री करती है पुरुष नहीं कर सकता। बच्चे को दूध पिलाने और उसका मलमूत्र साफ़ करने के लिए वह एक रात में कई कई बार उठती है, एक एक बच्चे की परवरिश करने में वह सैकड़ों रातों की अपनी नींद ख़राब करती है मगर कभी झुँझलाती नहीं, सब कुछ हँसी खुशी करती है। मर्दों में क्या इतना सब्र और बर्दाश्त का माद्दा है कि वह रातों में उठ उठ कर बच्चे का पेशाब पाखाना धोयें? दो बार भी जब किसी मर्द को यह काम करने पड़ जाते हैं तो जनाब झुँझला जाते हैं और रोते हुए बच्चे को पीट डालते हैं।

यही हाल घर के दूसरे

काम काज का है, खाना बनाने, सफाई करने जैसे बहुत से काम हैं जो महिलाओं को ही करने पड़ते हैं। खाना बनाते पर न मिले तो मर्द गुस्सा करने लगता है। आम तौर से नौकरी पेशा महिलाओं को भी यह घरेलू काम करने ही पड़ते हैं। मर्द बराबरी की बुनियाद पर उनकी मदद नहीं करता। जबकि इंसाफ की बात तो यह है कि रोज़गार के मामले में जिस तरह मर्द ने महिलाओं की मदद ली है उसी तरह घरेलू कामों में मर्द को महिलाओं की मदद बराबरी की बुनियाद पर करनी चाहिए। पूरी ईमानदारी और संजीदगी से इन हालात का अध्ययन करने पर साफ़ नज़र आता है कि मर्दों ने “समान अधिकार” के नाम पर महिलाओं को गुमराहियों के खुशनुमा जाल में फँसाया है और अपनी ज़िम्मेदारियां भी उस बेचारी के नाजुक कंधों पर छाल दी हैं। साथ ही मर्दों ने बड़ी बालाकी से अपनी नफ़सानी ख़वाफ़िशात (दासना) को पूरा करने के

मौके भी पैदा किए हैं। गैर महरम (असम्बंधित) महिलाओं को दफ़तर और कराखानों में साथ रख कर, उनको अपनी हवस का शिकार बनाया है। इश्तहार बाज़ी और माड़लिंग के ज़रिए उनके कोमल अंगों की नुमाइश करके उनकी शर्मा हया के कीमती जज़बात को पामाल किया है।

नतीजा साफ़ तौर पर सामने आ चुका है, बेशर्मी, अशलीलता, अपहरण, बलात्कार और फिर क़त्ल के वाकिआत की भरभार है, इन्हें रोकने की कोई तदबीर कारगर नहीं हो रही है।

यह हाल तो हमारे उपमहाद्वीप के मुलकों का है योरोपीय और अमेरिकन मुलकों का जो हाल है उसे तो बयान करना भी तहज़ीब के खिलाफ़ है अब वह कोई ढकी छिपी बात भी नहीं रह गई है, सब कुछ जग ज़ाहिर है। योरोपीय देश जिस धिनोनी ज़िन्दगी के चक्कर में फँस चुके हैं, वे चाहते हैं

कि दुनिया के सब लोग उसी गंदगी में छूब जायें।

दूसरी तरफ़ अगर हम अल्लाह तआला के भेजे हुए पैग़ाम, कुरआन और अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उपदेशों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि अल्लाह ने औरत और मर्द दोनों को उनकी ताक़त सलाहियत और जज़बात के मुताबिक़ अलग अलग कामों की ज़िम्मेदारियां सौंपी हैं। उस मालिक ने किसी को किसी का गुलाम नहीं बनाया है बल्कि पहले इंसान आदम की पस्ती से पहली महिला हव्वा को पैदा करके दुनिया के तमाम इंसानों के सामने यह सुबूत पेश कर दिया कि औरत और मर्द दोनों यकसां दर्जे की मखलूक हैं, दोनों के समान अधिकार हैं, केवल संरचना के आधार पर उनके कार्यक्षेत्र भिन्न हैं।

❖❖❖

अंतर्राष्ट्रीय समाचार के प्रस्तुतकर्ता

डॉ० सै० मुईद अशरफ़ नदवी अपने दब की दृष्टिमें

—इदारा

हर जीव के अन्त का से लेट्रीन नहीं हुई, हवा भी हो से लेट्रीन नहीं हुई, हवा भी उसमें एक पल का विलम्ब हो सकता है न वह जीव एक पल पहले जा सकता है।

हमारे डॉक्टर सथिद मुईद अशरफ नदवी वैसे तो एक समय से मधुमेह से पीड़ित थे परन्तु वह प्रति दिन इन्सुलीन का इन्जेक्शन लेते थे और स्वस्थ दिखते थे, इधर फरवरी माह में वह ज्वर से ऐसे पीड़ित हुए कि नर्सिंगहोम में ऐडमिट हो गये, तीन चार रोज़ के पश्चात वहाँ से डिस्चार्ज करा लिया और घर से इलाज जारी रहा, कमज़ोर थे लेकिन दो तीन घण्टों के लिए आफिस अवश्य आते और आवश्यक कार्य निपटा कर चले जाते, 14, 15 फरवरी को वह आफिस नहीं आए, 16 फरवरी को 11 बजे के करीब आए और धूप में बैठ कर कुछ काम करने लगे, मैं उनके पास गया और परस्पर दुआ सलाम के पश्चात हाल पूछा, कहने लगे तीन दिनों

को लोगों से मुतालबा कर पास नहीं होती, तबीअत पर बुरा प्रभाव है, रात को सना वाला काइम चूरन लिया था मगर कुछ नहीं हुआ कोई उपाए बताओ। मैंने कहा आप अपने डॉक्टर भाई सथिद मुबीन अशरफ से सलाह लें वैसे कोई दवा खाने वाली होगी तो कई घण्टे पश्चात उसका असर होगा, मेरी राय है कि आप उनसे मशवरे से ग्लेसीन का एनिमा लें, उन्होंने तुरन्त मेडीकल स्टोर से ग्लेसीन का एनिमा मंगवाया और घर चले गये, शाम को मालूम हुआ कि वह गाड़ी करके पूरे घर वालों के साथ अपने गाँव चले गये। हमारे डॉक्टर मुईद साहब मोबाइल नहीं रखते हैं, और जब से मेरी आँखों का रेटीना खराब हुआ मैं मोबाइल से फोन नहीं कर पाता, दूसरों से मदद लेना पड़ती है, 17, 18 फरवरी को कोई हाल न मालूम हो सका, 19 फरवरी

•डॉक्टर सथिद मुईद अशरफ मेरे ही इलाके के थे, हम दोनों का एक ही जिला और एक ही तहसील है, हम दोनों की तहसील रुदौली और जिला फैजाबाद है, उनका गाँव पूरे कामगार और मेरे गाँव पूरा रज़ा खाँ में लगभग 12 किमी का अंतर है, मेरा गाँव उनके गाँव से पूरब की ओर है। मेरे बचपन में डॉ० मुईद अशरफ के खान्दान में एक बुजुर्ग मियां नज़ीर

अशरफ थे, हमारे छेत्र के लोग विशेष कर ज़मींदार लोग उनसे बड़ी अकीदत रखते थे मेरे वालिद साहिब मरहूम भी मियां नजीर रहा के अकीदत मंदों में से थे इसलिए मुझे भी डॉक्टर मुईद अशरफ और उनके भाइयों और खान्दान वालों से महब्बत है।

डॉ मुईद अशरफ साहिब की जन्म तिथि पहली जनवरी 1958 ई० है उन्होंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा में फ़ज़ीलत तक शिक्षा प्राप्त की फिर यहीं वह तामीरे हयात (उर्दू अर्ध मासिक पत्रिका) के मैनेजर के पद पर नौकरी आरम्भ कर दी, इस नौकरी के ही काल में उन्होंने यूनीर्सिटी से अरबी में एम०ए० किया और फिर पी०एच०डी० की शिक्षा पूरी की, तत्पश्चात वह “शो—बए—सहाफ़त व नशरियात” के इंचार्ज नियुक्त हुए और अन्त तक इसी पद पर रहे।

शो—बए—सहाफ़त व नशरियात के अन्तर्गत अरबी मासिक पत्रिका “अलबअ़सुल इस्लामी, दूसरा अरबी अर्ध मासिक पत्रिका अराइद प्रकाशित होते हैं, उर्दू अर्ध

मासिक पत्रिका तामीरे हयात तथा हिन्दी मासिक पत्रिका “सच्चा राही” एवं इग्लिश पत्रिका “फ्रेग्रेन्स” प्रकाशित होते हैं सबके कर्मचारी तथा अधिकारी अलग अलग हैं परन्तु सब का सामूहिक लेखा जोखा हमारे डॉक्टर मुईद अशरफ साहिब ही के पास था हर मास एडीटर जनों के अलाऊँस, कर्मचारियों के वेतन पहुंचाना, सभीं पत्रिकाओं का अलग अलग हिसाब रखना उनका अहम काम था, साथ में दारुल उलूम के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पुस्तकें एवं कुछ और नदवतुल उलमा से सम्बन्धित पुस्तकें प्रकाशित कराने फिर उनको विभिन्न व्यापारिक पुस्तकालयों को सेल करना आदि पूरा काम हमारे डॉक्टर मुईद अशरफ साहब देखते और करते थे। साथ में वह वीजा तथा निकाह नामा के अनुवाद का कार्य भी करते थे, कभी तो अनुवाद वालों की लाईन लग जाती थी, मगर हमारे डॉक्टर मुईद साहिब सब को निपटाते और आफिस का भी पूरा काम करते। इन सब मशगूलियतों के बावजूद डॉक्टर मुईद अशरफ साहिब “सच्चा राही” के लिए अंतर्राष्ट्रीय

समाचार बराबर लिखते रहे उनका यह कार्य सच्चा राही के आरम्भ से उनके अन्तिम समय तक जारी रहा, अल्लाह इसे कबूल फरमाये और उनको इसका भरपूर अज़्ज़ दे।

डॉक्टर मुईद अशरफ साहिब की खास आदत यह थी कि वह ऑफिस आ जाने पर अपने काम में लग जाते, मैंने देखा उनके करीबी अज़ीज़ आ जाते तो बस दुआ सलाम और खैरियत पूछने के पश्चात अपने काम में लीन हो जाते मेहमान के लिए चाय मंगवा देते, साथ में चाय पी कर अपना काम आरम्भ कर देते कभी कभी तो मेहमान साहिब एक घण्टे से ज़ियादा बैठे रहते मगर डॉक्टर साहिब अपने काम में लगे रहते, सच्ची बात यह है कि अगर वह ऐसा न करते तो उनका काम पूरा नहीं हो सकता था।

डॉक्टर साहिब ने अपने पीछे दो लड़के और दो लड़कियां तथा पत्नी छोड़ी, बड़ा लड़का दारुलउलूम नदवतुल उलमा में आलिया सानिया का विद्यार्थी है जब कि छोटा लड़का हिफ़ज़ के दर्जे में हिफ़ज़

शेष पृष्ठ37.....पर

भ्रान्तियों को दूर करने का उचित क़दम

—मौलाना सै० मुहम्मद राबे हसनी नदवी

यह सच है कि शोर हंगामा और नारे बाजियों का भी दिल व दिमाग पर असर होता है, लेकिन सिर्फ नारों के ज़रिये मुखालिफत (विरोध) को रोका नहीं जा सकता, बल्कि इस्लाम की वास्तविकता को बताना और जीवन की समस्याओं के समाधान में उसकी क्षमता और योग्यता पर पूर्ण सन्तोष द्वारा ही इस तूफान का मुकाबला किया जा सकता है। परन्तु संतोष पैदा करने की यह क्षमता ज़ेहनों और अक़लों तक ले जाने वाले रास्ते और शिक्षा व प्रशिक्षण के उपचार अपना कर ही प्राप्त हो सकती है, यह खेदजनक बात है कि मुसलमान सामान्य रूप से इस मैदान में पीछे रह गये, जब तक ज़िन्दगी के मसाएळ को हल करने के लिए हमारी इस्लामी गैरत व हमीयत (इस्लामी गौरव एवं स्वाभिमान) और इस्लामी सच्चाई पर हमारे विश्वास के बावजूद सिर्फ शक्तिशाली प्रदर्शन, भावुक प्रयासों और योजना रहित प्रयत्नों पर निर्भरता है उस मसय तक हमारी सफलता

सीमित, निःस्तरीय ढंग में अंतर्राष्ट्रीय समाचार के.... अपनों से आगे नहीं बढ़ सकती, और ऐसी सूरत में इस्लाम की उपयोगिता सिमट कर रह जायेगी, और अधिकतर हालात में फ़ाइदा हासिल नहीं हो सकेगा इसलिए कि अपनों का सहयोग तो हासिल ही है, उनकी ओर से हमारे विरुद्ध कोई आक्रमण नहीं, आक्रमण तो दूसरों की ओर से है अतः हमें विचार इस बात पर करना होगा कि हमने उनके मुकाबिले के लिए किस क़दर तैयारी की है। क्या हमने उन भ्रान्तियों को दूर करने का कोई उचित क़दम उठाया है जो इस्लाम के संबन्ध में उनके ज़ेहनों में ज़ड़ पक़ड़ चुकी हैं? क्या हमने अपने से क़रीब करने में उनकी मनोवैज्ञानिक उलझनों को दूर किया? क्या हमने उनके सामने इस्लामी शिक्षा और मुसलमानों के अच्छे नैतिकता का उच्चतम आदर्श पेश किया है? उत्तर यह होगा “नहीं” हमको इस विषय पर विचार करना चाहिए और उचित इक़दाम तथा प्रयास करना चाहिए। □□

कर रहा है, दोनों बेटियाँ शिक्षित हैं, चिन्ता की बात यह है कि औलाद में किसी की शादी नहीं हुई है, दूसरी खेद की बात यह है कि गाँव में उनके हिस्से का घर खण्डर पड़ा है, अल्बता उन्होंने लखनऊ में सिकरौरी के करीब दो प्लाट खरीद रखे हैं, अल्लाह तआला अपना खास करम फरमाए और उनके बीवी बच्चों की समस्याओं का समाधान करे, इनशाअल्लाह उनके भाई विशेष कर उनके बड़े भाई डॉक्टर सच्चिद मुबीन अशरफ नदवी जो माहद सच्चिदना अबी बक्र सिद्दीक महपत मऊ के मोहतमिम हैं अपने भीतीजों और भतीजियों का पूरा ख्याल फरमाएंगे।

तमाम पाठकों से अनुरोध है कि वह डॉक्टर सच्चिद मुईद अशरफ के लिए मणिकरत की और उनके बच्चों के लिए सब की दुआ करें।

गर दुआये मणिकरत हो चाहते अपने लिए तो दुआ करते रहो तुम जाने वालों के लिए



हमारी गाय

—मोलवी इस्माईल मेरठी (1844–1917)

रब का शुक्र अदा कर भाई
जिसने हमारी गाय बनाई
उस मालिक को क्यों न पुकारें
जिसने पिलाई दूध की धारें
खाक को उसने सबज़ा बनाया
सबजे को फिर गाय ने खाया
कल जो घास चरी थी बन में
दूध बनी वह गाय के थन में
सुबहानल्लाह दूध है कैसा
ताज़ा, गर्म, सफेद और मीठा
दूध में भीगी रोटी मेरी
उसके करम ने बख़शी सैरी
दूध, दही और मट्ठा मसका
दे न खुदा तो किसके बस का
गाय को दी क्या अच्छी सूरत
खूबी की है, गोया मूरत

दाना दुनका भूंसी चोकर
 खा लेती है सब खुश हो कर
 खा कर तिनके और ठटेरे
 दूध है देती शाम सवेरे
 सबज़े से मैदान हरा है
 झील में पानी साफ़ भरा है
 पानी मौजे मार रहा है
 चरवाहा चुमकार रहा है
 पानी पी कर चारा चर कर
 शाम को आई अपने घर पर
 दूरी में जो दिन है काटा
 बच्चे को किस प्यार से चाटा
 गाय हमारे हक में है नेमत
 दूध है देती खा के बनस्पति
 बछड़े उसके बैल बनाये
 जो खेती के काम में आये
 रब की हम्दो सना कर भाई
 जिसने ऐसी गाय बनाई



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

उर्दू सीखिये - इदारा

उर्दू अरबी को जब हिन्दी लिपि में लिखते हैं तो केवल उसकी ध्वनि लिखते हैं, जिन अक्षरों का बोलने में उच्चारण नहीं होता उनको हिन्दी लिपि में नहीं लिखते। उसका नियम यहाँ लिखा जाता है।

अरबी के 28 अक्षरों में 14 शमसी और 14 कमरी कहलाते हैं।

शमसी अक्षर- ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ط، ظ، ل، ن

कमरी अक्षर- ا، ب، ح، ج، خ، ع، غ، ف، ق، ک، م، و، ی

अरबी भाषा के नियमानुसार किसी ال वाले शब्द से पहले वाले शब्द के अन्तिम अक्षर को उससे मिला कर पढ़ते हैं तो यदि ال (अल) के पश्चात कमरी अक्षर है तो बोलने में ا (अलिफ) का उच्चारण नहीं होता जैसे وَالْقُرْآن (वलक़्मर) परन्तु जब यह शब्द पृथक लिखा जाता है तो ال (अल) दोनों का उच्चारण होता है जैसे اَلْبَقْر (अलक़मर) اَلْبَقْر (अलबक़र) आदि।

इसी प्रकार ال वाले शब्द से पहले किसी अक्षर को उससे मिला कर पढ़ने में यदि ال के पश्चात शमसी अक्षर होता है तो ال (अल) दोनों का उच्चारण नहीं होता जैसे الشَّمْس (वश्शम्स) وَالنُّور (वन्नूर) परन्तु यह शब्द जब पृथक लिखेंगे तो ا (अलिफ) का उच्चारण होगा और ل (ल) का उच्चारण न होगा। जैसे الْنُّور (अन्नूर) الشَّمْس (अश्शम्स)।

यह भी याद रहे कि ال (अल) के पश्चात वाला शमसी अक्षर सदैव तशदीद वाला होता है अर्थात वह दो बार पढ़ा जाता है पहले साकिन (गतिहीन) फिर मुतहर्रिक (गतिशील)।

अब بिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ की लिपि तथा उसके उच्चारण को समझिए। इस वाक्य में चार शब्द हैं— بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (बिस्म) (अल्लाह) (अर्रहमान) (अर्रहीम) (अर्रहीम)।

पहले शब्द की मीम अगले शब्द अल्लाह से मिलती है अतः उक्त नियमानुसार ا (अलिफ) का उच्चारण न होगा, न हिन्दी लिपि में उसे लिखेंगे। दूसरे शब्द का अन्तिम अक्षर ر (र) (अर्रहीम) से मिलेगा अतः उक्त नियमानुसार ال (अल) दोनों का उच्चारण न होगा और ر (ر) दो बार पढ़ा जायेगा। अतः हिन्दी लिपि में ال (अल) न लिखेंगे और ر (ر) को दो बार लिखेंगे एक आधा और एक पूरा। इसी प्रकार तीसरे शब्द का अन्तिम अक्षर ن (ن) अगले शब्द ر (र) (अर्रहीम) से मिलेगा और उक्त नियमानुसार ال (अल) का उच्चारण न होगा और ر (ر) दो बार पढ़ा जायेगा। अतः हिन्दी में ال (अल) न लिखेंगे और ر (ر) दो बार लिखेंगे पहले आधा फिर पूरा। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ